"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 जून 2022—ज्येष्ठ 27, शक 1944

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 2 मई 2022

क्रमांक ई 1-03/2022/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. तंबोली अय्याज फकीरभाई, भा.प्र.से. (2009), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण तथा अतिरिक्त प्रभार नोडल अधिकारी, नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी एवं छ.ग. गोधन न्याय योजना को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ विशेष सचिव, कृषि विभाग तथा माटी पूजन अभियान के प्रभारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

2. श्री जय प्रकाश मौर्य, भा.प्र.से. (2010), संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म तथा अतिरिक्त प्रभार प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.

खनिज विकास निगम एवं संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संयुक्त सचिव, खनिज साधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

3. सुश्री पुष्पा साहू भा.प्र.से. (2012), संयुक्त सचिव, खनिज साधन विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार संयुक्त सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए संयुक्त सचिव, वन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 27 अप्रैल 2022

क्रमांक ई 7-02/2022/एक-2.—श्री अमृत विकास तोपनो, भा.प्र.से. (2020), तत्का. महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर को दिनांक 08-11-2021 से 21-11-2021 तक (कुल 14 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही उन्हें दिनांक 07-11-2021 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश काल में श्री तोपनो को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तोपनो अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 9 मई 2022

क्रमांक ई 1-03/2022/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री राहुल देव, भा.प्र.से. (2016), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सूरजपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर कलेक्टर, जिला-जांजगीर-चांपा के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्वेष घृतलहरे, अवर सचिव.

LAW AND LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
Mantralaya Mahanadi Bhawan, Atal Nagar, Nava Raipur (C.G.)

Nava Raipur, the 19th April 2022

F. No. 4015/1135/XXI-B/C.G./2022.—The State Government on recommendation of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh vide its Memo No. 811/Confdl./2022/I-8-6/2001 (pt.III) II-2-17/2001 (pt.-IV) II-2-101/2001 (pt.II), Dated 13-04-2022, hereby, appoints the following members of Lower Judicial Service specified in column (2) of the Schedule below as Secretary, District Legal Services Authority, as mentioned in column (3) of Schedule, from the date they assume charge of their office, namely :—

Sl. No.	Name of Judicial Officer with Present place of posting	Name of DLSA
(1)	(2)	(3)
1.	Shri Mahesh Kumar Raj, Secretary District Legal Services Authority, Baikunthpur.	Secretary, District Legal Services Authority Jashpur.

(1)	(2)	(3)
2.	Shri Amit Jindal, Secretary District Legal Services Authority, Jashpur.	Secretary, District Legal Services Authority, Ambikapur.
3.	Shri Damodar Prasad Chandra, III Civil Judge, Class-II, Raigarh.	Secretary, District Legal Services Authority, Mahasamund.
4.	Shri Ashish Dahariya, II Civil Judge, Class-II, Kota.	Secretary, District Legal Services Authority, Durg.
5.	Ku. Dolly Dhruw, Additional Judge to the Court of Civil Judge, Class-II, Katghora.	Secretary, District Legal Services Authority, Surajpur.
6.	Shri Rakesh Singh Sori, Additional Judge to the Court of I Civil Judge, Class-II, Raigarh at Sarangarh.	Secretary, District Legal Services Authority, Bilaspur.
7.	Shri Himanshu Arya, VII Additional Judge to the Court of I Civil Judge, Class-II, Raipur.	Secretary, District Legal Services Authority, Baikunthpur.
8.	Shri Kranti Kumar Singh, X Civil Judge, Class-II, Bilaspur.	Secretary, District Legal Services Authority, Dhamtari.

क्रमांक 4015/1135/21-ब/छ.ग./2022.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक 811/Confdl./2022/I-8-6/2001 (pt.III) II-2-17/2001 (pt.-IV) II-2-101/2001 (pt.II) दिनांक 13-04-2022 के अनुपालन में तथा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर नीचे दी गई अनुसूची की कण्डिका (2) में उल्लेखित निम्नलिखित निम्नतर न्यायिक सेवा के सदस्यों को अनुसूची के कण्डिका (3) में दर्शित अनुसार सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पद पर उनके पदग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है, अर्थात् :—

स.क्र.	वर्तमान पदस्थापना के स्थान के साथ न्यायाधीश का नाम	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	श्री महेश कुमार राज, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैकुण्ठपुर.	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जशपुर
2.	श्री अमित जिंदल, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जशपुर.	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बिकापुर
3.	श्री दामोदर प्रसाद चन्द्रा, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, रायगढ़.	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुंद
4.	श्री आशिष डहरिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, कोटा.	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग
5.	कु. डाली ध्रुव, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, कटघोरा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश.	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सूरजपुर

(1)	(2)	(3)
6.	श्री राकेश सिंह सोरी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, रायगढ़ स्थान सारंगढ़, के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश.	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर
7.	श्री हिमांशु आर्या, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, रायपुर, के न्यायालय के सप्तम अतिरिक्त न्यायाधीश.	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैकुण्ठपुर
8.	श्री क्रांति कुमार सिंह, दशम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बिलासपुर.	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धमतरी

Nava Raipur, the 19th April 2022

F. No. 4017/1135/XXI-B/C.G./2022.—In compliance of recommendation of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh received through Memo No. 811/Confdl./2022/I-8-6/2001 (pt.III) II-2-17/2001 (pt.-IV) II-2-101/2001 (pt.II), Dated 13-04-2022, withdraws the services of Ku. Kamini Jaiswal, Civil Judge, Class-II, Pithora, from the High Court of Chhattisgarh, places her under Law and Legislative Affairs Department, Government of Chhattisgarh the State Government, and appoints her at the post of Under Secretary, Chhattisgarh State Legal Services Authority, Bilaspur, on deputation from the date she assumes charge of her office.

क्रमांक 4017/1135/21-ब/छ.ग./2022.—राज्य शासन, एतद्द्वारा माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 811/Confdl./2022/I-8-6/2001 (pt.III) II-2-17/2001 (pt.-IV) II-2-101/2001 (pt.II) Dated 13-04-2022 के द्वारा प्राप्त अनुशंसा के अनुपालन में कु. कामिनी जायसवाल, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 पिथौरा की सेवाएं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से वापस लेते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, रायपुर के अधीन, प्रतिनियुक्ति पर अवर सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के पद पर उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है.

Nava Raipur, the 19th April 2022

F. No. 4019/1135/XXI-B/C.G./2022.—The State Government, on recommendation of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh vide its Memo No. 811/Confdl./2022/I-8-6/2001 (pt.III) II-2-17/2001 (pt.-IV) II-2-101/2001 (pt.II), Dated 13-04-2022, hereby, withdraws the services of Shri Prashant Kumar Bhaskar, Member of Lower Judicial Service, presently posted as Additional Judge to the Court of Civil Judge, Class-II, Baikunthpur from High Court of Chhattisgarh, places him under Law and Legislative Affairs Department on deputation and appoints him as Deputy Secretary, Government of Chhattisgarh, Law and Legislative Affairs Department, Raipur from the date he assumes charge of the office.

क्रमांक 4019/1135/21-ब/छ.ग./2022.—राज्य शासन, एतद्द्वारा माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 811/Confdl./2022/I-8-6/2001 (pt.III) II-2-17/2001 (pt.-IV) II-2-101/2001 (pt.II) Dated 13-04-2022 के द्वारा प्राप्त अनुशंसा के अनुपालन में श्री प्रशांत कुमार भास्कर, निम्नतर न्यायिक सेवा, वर्तमान में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैकुण्ठपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के पद पर पदस्थ, की सेवाएं, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर से वापस लेते हुए छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, रायपुर के अधीन प्रतिनियुक्ति पर उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, रायपुर के पद पर उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से उन्हें नियुक्त करता है.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAM KUMAR TIWARI, Principal Secretary.

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 अप्रैल 2022

क्रमांक/3109/एफ-02/01/PMFBY/2020/14-2.—मौसम रबी वर्ष 2020-21 से 2022-23 अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु छ.ग. शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्र. 2976/एफ-02/01/प्र.मं.फ.बी.यो./2020/14-2 दि. 16-06-2020 के परिशिष्ट-2 में थ्रेसहोल्ड उपज को अधिसूचित किया गया है. मौसम रबी वर्ष 2021-22 अंतर्गत जारी संशोधित अधिसूचना क्र. 5497 दिनांक 30-10-2021, क्र. 6271 दिनांक 14-12-2021 एवं क्र. 6273 दिनांक 14-12-2021 में बीमा इकाई/फसल अधिसूचित किया गया है. संचालनालय कृषि, छ.ग. के पत्र क्र. 1810 दिनांक 09-03-2022 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर उक्त अधिसूचना में एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

1. उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट-2 की तालिका में गेहूं सिंचित फसल हेतु जिलावार अंकित अंतिम सरल क्रमांक के आगे निम्नानुसार सरल क्रमांक में बीमा ईकाई तथा उसके अधिक्रम को जोड़ते हुए थ्रेसहोल्ड उपज अधिसूचित किया जाता है—

S.No	District	Tehsil Name	RI Circle Name	GP Code	GP Name	Village Code in Crop Insurance Portal	Village Name	अधिसूचित फसल	थ्रेसहोल्ड उपज (किग्रा./हेक्टे.)
60	Balod	Gunderdehi	Kalangpur	903853	Borgahan F	442904	Borgahan	गेहू सिंचित	1580
202	Baloda Bazar	Bhatapara	Karhibazar	128886	Kesla	443677	Kesla	गेहू सिंचित	1580
203	Baloda Bazar	Bhatapara	Karhibazar	128887	Khaira	443680	Khaira	गेहू सिंचित	1613
204	Baloda Bazar	Bhatapara	Karhibazar	128899	Lachanpur	443682	Lachchhanpur	गेहू सिंचित	1580
205	Baloda Bazar	Bhatapara	Karhibazar	128899	Lachanpur	443681	Ramdaiya	गेहू सिंचित	1580
206	Baloda Bazar	Bhatapara	Khamhariya	128901	Maldi	443702	Maldi	गेहू सिंचित	1607
207	Baloda Bazar	Bhatapara	Nipaniya	128863	Bhothidih	443663	Bhothidih	गेहू सिंचित	1591
208	Baloda Bazar	Bhatapara	Nipaniya	263907	Dhaorabhatha	443647	Dhourabhatha	गेहू सिंचित	1565
209	Baloda Bazar	Bhatapara	Nipaniya	128907	Nipaniya	443659	Nipaniya	गेहू सिंचित	1591
210	Baloda Bazar	Palari	Sandi	129540	Harinbhatta	443906	Harinbhatta	गेहू सिंचित	1598
217	Balrampur	Ramanujganj	Vijaynagar	131193	Chinia	431903	Chiniya	गेहू सिंचित	1601
444	Bemetara	Bemetara	Babamohtara	124172	Bhoinbhata	442018	Mudpar	गेहू सिंचित	1591
445	Bemetara	Bemetara	Babamohtara	124130	Chitapaar	441988	Chhitapar	गेहू सिंचित	1186
446	Bemetara	Bemetara	Babamohtara	124130	Chitapaar	441990	Sanakpat	गेहू सिंचित	1667
447	Bemetara	Bemetara	Dadhi	124140	Gidhva	441915	Damaidih	गेहू सिंचित	1667
448	Bemetara	Bemetara	Dadhi	124140	Gidhva	441917	Gidhwa	गेहू सिंचित	1591
449	Bemetara	Bemetara	Dadhi	124151	Karamtara	441907	Ghoreghat	गेहू सिंचित	1591
450	Bemetara	Bemetara	Dadhi	124151	Karamtara	441905	Karamtara	गेहू सिंचित	1591
451	Bemetara	Bemetara	Dadhi	263522	Lalpur	441904	Lalpur	गेहू सिंचित	1591
452	Bemetara	Bemetara	Dadhi	263522	Lalpur	441903	Madai	गेहू सिंचित	1591
453	Bemetara	Bemetara	Dadhi	124181	Pachbhaiya	441899	Amcho	गेहू सिंचित	1591
454	Bemetara	Bemetara	Dadhi	124189	Sukhataal	441906	Birampur	गेहू सिंचित	1591
455	Bemetara	Bemetara	Jhal	124171	Mohtara(Kha)	442019	Mohtara(Kha)	गेहू सिंचित	1591
456	Bemetara	Bemetara	Khandsara	124114	Bandhi	441925	Bandhi	गेहू सिंचित	1591
457	Bemetara	Bemetara	Khandsara	263527	Banshapur	441957	Banshapur	गेहू सिंचित	1133
458	Bemetara	Bemetara	Khandsara	263527	Banshapur	441952	Ghanadih	गेहू सिंचित	1591
459	Bemetara	Bemetara	Khandsara	124128	Chilphi	441918	Chilphi	गेहू सिंचित	1591
460	Bemetara	Bemetara	Khandsara	124128	Chilphi	441919	Kapa	गेहू सिंचित	1591
461	Bemetara	Bemetara	Khandsara	124159	Khandsara	441953	Raikheda	गेहू सिंचित	1591
462	Bemetara	Bemetara	Khandsara	124162	Kurda	441930	Bohardih	गेहू सिंचित	1146
463	Bemetara	Bemetara	Khandsara	124162	Kurda	441935	Devgaon	गेहू सिंचित	1591
464	Bemetara	Nawagarh	Badnara	124802	Ganiyari	441784	Kawara Jeora	गेहू सिंचित	1589
465	Bemetara	Nawagarh	Sambalpur	124782	Beltukri	441783	Tingali Jeora	गेहू सिंचित	912
466	Bemetara	Thanakhamria	Karesara	263596	Kirki	442221	Kirki	गेहू सिंचित	1589
18	Dhamtari	Dhamtari	Aamdi	123721	Amlidih	447016	Amlidih	गेहू सिंचित	1413
19	Dhamtari	Dhamtari	Aamdi	123725	Bagtaral	447018	Bagtaral	गेहू सिंचित	1413
20	Dhamtari	Dhamtari	Aamdi	263381	Madai Bhata	447017	Madai Bhata	गेहू सिंचित	1428
21	Dhamtari	Dhamtari	Aamdi	263381	Madai Bhata	447015	Mokha	गेहू सिंचित	1428
22	Dhamtari	Dhamtari	Chhati	123749	Devri	447053	Bodachhapar	गेहू सिंचित	1455
23	Dhamtari	Dhamtari	Chhati	123749	Devri	447054	Deori	गेहू सिंचित	1413
24	Dhamtari	Dhamtari	Chhati	123759	Jhiria	447048	Jhiriya	गेहू सिंचित	1469
25	Dhamtari	Dhamtari	Chhati	123803	Udena	447047	Udena	गेहू सिंचित	1413

S.No	District	Tehsil Name	RI Circle Name	GP Code	GP Name	Village Code in Crop Insurance Portal	Village Name	अधिसूचित फसल	थ्रेसहोल्ड उपज (किग्रा./हेक्टे.)
289	Durg	Dhamdha	Ahiwara	124276	Bagdumar	442487	Semariya	गेहूं सिंचित	1116
290	Durg	Dhamdha	Ahiwara	124347	Potiya (M)	442489	Potiya (Me)	गेहूं सिंचित	1219
291	Durg	Dhamdha	Boribujurg	124293	Dodki	442449	Deurkona	गेहूं सिंचित	1159
292	Durg	Dhamdha	Boribujurg	124338	Pathariya (D)	442473	Pathariya (Do)	गेहूं सिंचित	1139
293	Durg	Dhamdha	Boribujurg	263556	Sewti	442463	Sewti	गेहूं सिंचित	1157
294	Durg	Dhamdha	Dargaon	124324	Mohrenga	442505	Mohrenga	गेहूं सिंचित	1135
295	Durg	Dhamdha	Dargaon	124345	Pitoura	442511	Pitaura	गेहूं सिंचित	1157
296	Durg	Dhamdha	Dhamdha	124286	Daganiya	442411	Danganiya	गेहूं सिंचित	1180
297	Durg	Dhamdha	Dhamdha	124287	Danikokdi	442427	Dani Kokdi	गेहूं सिंचित	1271
298	Durg	Dhamdha	Dhamdha	124290	Deori	442407	Deori Raksa	गेहूं सिंचित	1230
299	Durg	Dhamdha	Dhamdha	263552	Gadaghat	442430	Gadaghat	गेहूं सिंचित	1158
300	Durg	Dhamdha	Dhamdha	263547	Paroda	442428	Pandora	गेहूं सिंचित	1220
301	Durg	Dhamdha	Pendrawan	124270	Accholi	442440	Achholi	गेहूं सिंचित	1328
302	Durg	Dhamdha	Pendrawan	124298	Ghotwani	442445	Dhuma	गेहूं सिंचित	1175
303	Durg	Dhamdha	Pendrawan	124342	Pendri (K)	442401	Kutaha	गेहूं सिंचित	1181
304	Durg	Dhamdha	Pendrawan	124342	Pendri (K)	442405	Pendri (Ku)	गेहूं सिंचित	1181
305	Durg	Dhamdha	Pendrawan	263551	Ruha	442438	Pendri Go	गेहूं सिंचित	1269
306	Durg	Dhamdha	Pendrawan	263551	Ruha	442439	Ruha	गेहूं सिंचित	1269
307	Durg	Dhamdha	Pendrawan	263551	Ruha	442452	Sukhri Khurd	गेहूं सिंचित	1269
308	Durg	Durg	Anda	124536	Bhanpuri	442607	Bhanpuri	गेहूं सिंचित	1091
309	Durg	Durg	Anjora (Kh)	124585	Piperchedi	442581	Piperchhedi	गेहूं सिंचित	1174
310	Durg	Durg	Anjora (Kh)	124588	Rasmada	442582	Rasmada	गेहूं सिंचित	1174
311	Durg	Durg	Durg-1	124538	Bhatgaon	442568	Bhatgaon	गेहूं सिंचित	1174
312	Durg	Durg	Junwani	903293	Nagri Nikai (Khamariya)	964429	Khamariya	गेहूं सिंचित	1174
313	Durg	Durg	Risali	903283	Nagri Nikai (Dundera)	964374	Dundera	गेहूं सिंचित	1174
314	Durg	Durg	Sikola	903306	Nagri Nikai (Sikola)	964373	Sikola	गेहूं सिंचित	1174
315	Durg	Durg	Utai	124544	Borigarka	780039	Kargadih	गेहूं सिंचित	1174
316	Durg	Patan	Amleshwar	124899	Ghughwa (J)	442636	Ghughwa (Amlesar)	गेहूं सिंचित	1249
317	Durg	Patan	Amleshwar	124923	Magerghata	442633	Magarghata	गेहूं सिंचित	1115
318	Durg	Patan	Amleshwar	124925	Mahuda	442639	Mahuda	गेहूं सिंचित	1184
319	Durg	Patan	Amleshwar	124929	Motipur	442643	Motipur	गेहूं सिंचित	1184
320	Durg	Patan	Amleshwar	124931	Nardhi	442647	Nardhi	गेहूं सिंचित	1184
321	Durg	Patan	Bhilai-3	903316	Nagri Nikai (Ganiyari)	964426	Ganiyari	गेहूं सिंचित	1131
322	Durg	Patan	Jamgaon (M)	124903	Jamgaon (M)	442666	Jamgaon (M)	गेहूं सिंचित	1426
323	Durg	Patan	Jamgaon (M)	124924	Mahakakhurd	442654	Mahka Khurd	गेहूं सिंचित	1131
324	Durg	Patan	Jamgaon (R.)	124891	Dhamana	442745	Dhamna	गेहूं सिंचित	1024
325	Durg	Patan	Jamgaon (R.)	124932	Nawagaon	442757	Nawagaon	गेहूं सिंचित	1131
326	Durg	Patan	Jamgaon (R.)	124944	Pauha	442702	Bhainsbod	गेहूं सिंचित	1131
327	Durg	Patan	Patan	124876	Belaidi	442703	Khapri	गेहूं सिंचित	1131
328	Durg	Patan	Patan	124877	Bhansuli (K)	442727	Bhansuli (K)	गेहूं सिंचित	1036
329	Durg	Patan	Patan	124889	Darbarmokhali	442707	Darbar Mokhli	गेहूं सिंचित	1131
330	Durg	Patan	Patan	124951	Sikola	442721	Sikola (Patan)	गेहूं सिंचित	1028
331	Durg	Patan	Ranitarai (Didabhtha)	124958	Teligundra	442728	Teligundra	गेहूं सिंचित	1131
332	Durg	Patan	Selud	124901	Gudhiyari	442698	Godhiyari	गेहूं सिंचित	1062
43	Janjgir - Champa	Jaijaipur	Thathari	125290	Bhothiya	437345	Bhothiya	गेहूं सिंचित	1522
44	Janjgir - Champa	Jaijaipur	Thathari	125312	Jhalrouda	437336	Jhalraunda	गेहूं सिंचित	1563
45	Janjgir - Champa	Malkharoda	Chhapora	125394	Nagjhar	437291	Nagjhar	गेहूं सिंचित	1560
416	Rajnandgaon	Ambagarh	Atargaon	263630	Aatra	441600	Atra	गेहूं सिंचित	1522
417	Rajnandgaon	Ambagarh	Atargaon	129758	Bagnara	441620	Bagnara	गेहूं सिंचित	1522
418	Rajnandgaon	Ambagarh	Bandha Bazar	129771	Dhadhutola	441585	Dhadhu Tola	गेहूं सिंचित	1522
419	Rajnandgaon	Ambagarh	Bandha Bazar	129786	Khursipar	441582	Maldongri	गेहूं सिंचित	1522
420	Rajnandgaon	Ambagarh	Chilhati	129802	Rainu Tola	441569	Khora Tola	गेहूं सिंचित	1522
421	Rajnandgaon	Ambagarh	Chilhati	129806	Singhabhedi	441568	Jantargundra	गेहूं सिंचित	1522
422	Rajnandgaon	Chhuriya	Bamhni Charbhatha	129986	Salhetola	440951	Salhe Tola	गेहूं सिंचित	1142
423	Rajnandgaon	Dongargarh	Chauthna	130132	Raka	440686	Ranka	गेहूं सिंचित	1167
424	Rajnandgaon	Dongargarh	Musara Kala	130103	Kolihapuri (G)	440586	Kolihapuri	गेहूं सिंचित	1166
425	Rajnandgaon	Gandai	Chakner	129812	Achanakpur	440092	Jiratola Alis Chuckgpur	गेहूं सिंचित	1102
426	Rajnandgaon	Rajnandgaon	Sukul Daihan	130357	Bhanpuri	440855	Bhanpuri	गेहूं सिंचित	1152

2. उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट-2 की तालिका में फसल गेहूं असिंचित हेतु जिलावार अंकित अंतिम सरल क्रमांक के आगे निम्नानुसार सरल क्रमांक में बीमा ईकाई तथा उसके अधिक्रम को जोड़ते हुए थ्रेसहोल्ड उपज अधिसूचित किया जाता है-

S.No	District	Tehsil Name	RI Circle Name	GP Code	GP Name	Village Code in Crop Insurance Portal	Village Name	अधिसूचित फसल	थ्रेसहोल्ड उपज (किग्रा. / हेक्टे.)
16	Durg	Dhamdha	Ahiwara	124295	Dumar	442517	Dumar	गेहूं असिंचित	908
17	Durg	Dhamdha	Ahiwara	124319	Malpurikhurd	442519	Malpuri Khurd	गेहूं असिंचित	907
18	Durg	Dhamdha	Dargaon	124320	Matra	442508	Matra	गेहूं असिंचित	908
19	Durg	Dhamdha	Dargaon	124324	Mohrenga	442505	Mohrenga	गेहूं असिंचित	910
20	Durg	Dhamdha	Dhamdha	124282	Birjhapur	442421	Birjapur	गेहूं असिंचित	908
21	Durg	Dhamdha	Dhamdha	903269	Nagri Nikai (Dhamdha)	802003	Dhamdha	गेहूं असिंचित	995
22	Durg	Dhamdha	Dhamdha	124356	Silli	442434	Silli	गेहूं असिंचित	913
23	Durg	Dhamdha	Murmunda	124307	Kapsada	442528	Kapasda	गेहूं असिंचित	908
24	Durg	Dhamdha	Pendrawan	124279	Bhantakokdi	442447	Batha Kokdi	गेहूं असिंचित	981
25	Durg	Dhamdha	Pendrawan	124279	Bhantakokdi	442446	Mudpar (Dhuma)	गेहूं असिंचित	981
26	Durg	Dhamdha	Pendrawan	124298	Ghotwani	442445	Dhuma	गेहूं असिंचित	981
27	Durg	Dhamdha	Pendrawan	124298	Ghotwani	442445	Ghotwani	गेहूं असिंचित	981
28	Durg	Dhamdha	Pendrawan	124301	Gorpa	442395	Bhilauri	गेहूं असिंचित	977
29	Durg	Dhamdha	Pendrawan	263548	Hiretara	442442	Hiretara	गेहूं असिंचित	981
30	Durg	Dhamdha	Pendrawan	263550	Khairjhiti	442443	Khairjhiti	गेहूं असिंचित	981
31	Durg	Dhamdha	Pendrawan	124331	Nawagaon (S)	442388	Konka	गेहूं असिंचित	981
32	Durg	Dhamdha	Pendrawan	124331	Nawagaon (S)	442389	Nawagaon (Sa)	गेहूं असिंचित	981
33	Durg	Durg	Anda	263408	Konari	442611	Konari	गेहूं असिंचित	930
34	Durg	Patan	Jamgaon (M)	124922	Loharsi	442681	Loharsi	गेहूं असिंचित	835
35	Durg	Patan	Jamgaon (M)	124945	Raveli	442679	Raveli	गेहूं असिंचित	835
36	Durg	Patan	Jamgaon (R.)	124921	Kurmigundra	442736	Kurmigudra	गेहूं असिंचित	835
37	Durg	Patan	Patan	124888	Demar	442718	Nawagaon	गेहूं असिंचित	835
38	Durg	Patan	Selud	124901	Gudhiyari	442696	Amalori	गेहूं असिंचित	868
21	Rajnandgaon	Chhuriya	Bamhni Charbhatha	129986	Salhetola	440951	Salhe Tola	गेहूं असिंचित	1034

3. उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट-2 की तालिका में फसल चना हेतु जिलावार अंकित अंतिम सरल क्रमांक के आगे निम्नानुसार सरल क्रमांक में बीमा ईकाई तथा उसके अधिक्रम को जोड़ते हुए थ्रेसहोल्ड उपज अधिसूचित किया जाता है-

S.No	District	Tehsil Name	RI Circle Name	GP Code	GP Name	Village Code in Crop Insurance Portal	Village Name	अधिसूचित फसल	थ्रेसहोल्ड उपज (किग्रा. / हेक्टे.)
136	Balod	Gunderdehi	Kalangpur	124658	Limora	442864	Limora	चना	944
137	Balod	Gurur	Dhanora	124735	Dhanapuri	443431	Dhanapuri	चना	1052
138	Balod	Gurur	Dhanora	124755	Naragaon	443443	Naragaon	चना	1052
85	Baloda Bazar	Bhatapara	Karhibazar	128912	Patan	443683	Patan	चना	1094
86	Baloda Bazar	Bhatapara	Nipaniya	128878	Godhi (S)	443653	Godhi (S)	चना	1062
87	Baloda Bazar	Palari	Palari	129509	Achholi	443932	Achholi	चना	1012
88	Baloda Bazar	Palari	Palari	129525	Datan(kh)	443954	Datan(kh)	चना	1098
89	Baloda Bazar	Palari	Palari	129543	Kesla	443882	Kesla	चना	1076
665	Bemetara	Nawagarh	Maro	263571	Bundela	441825	Bundela	चना	961
666	Bemetara	Nawagarh	Maro	263571	Bundela	441826	Sonpuri	चना	991
667	Bemetara	Nawagarh	Sambalpur	903823	Adhiyarkhor S	441775	Andhiyar Khor	चना	1073
668	Bemetara	Nawagarh	Sambalpur	903824	Khatai	441777	Khatai	चना	932
115	Dhamtari	Dhamtari	Aamdi	123721	Amlidih	447016	Amlidih	चना	1100
116	Dhamtari	Dhamtari	Aamdi	123725	Bagtarai	447018	Bagtarai	चना	1021
117	Dhamtari	Dhamtari	Aamdi	123763	Khapri	447072	Khapri	चना	1148
118	Dhamtari	Dhamtari	Aamdi	123773	Loharsi	447079	Loharsi (Loharsing)	चना	1050
119	Dhamtari	Dhamtari	Aamdi	263381	Madai Bhata	447017	Madai Bhata	चना	1089
120	Dhamtari	Dhamtari	Aamdi	123778	Parastarai	447076	Parastarai	चना	1093
121	Dhamtari	Dhamtari	Bhothli	123754	Gagra	447058	Gagra	चना	1158
122	Dhamtari	Dhamtari	Chhati	123740	Chhati	447046	Chhati	चना	1057
123	Dhamtari	Dhamtari	Rudri	123798	Soram	447084	Soram	चना	988
124	Dhamtari	Kurud	Bhatheli	123846	Hanchalpur	446816	Hanchalpur	चना	1055
125	Dhamtari	Kurud	Bhatheli	263389	Joratarai C	446822	Joratarai C	चना	986
126	Dhamtari	Magarlod	Mohandi	123942	Mohadi	446914	Mohadi	चना	970
253	Durg	Patan	Selud	124927	Matang	442686	Matang	चना	913

S.No	District	Tehsil Name	RI Circle Name	GP Code	GP Name	Village Code in Crop Insurance Portal	Village Name	अधिसूचित फसल	थ्रेसहोल्ड उपज (किग्रा. /हेक्टे.)
850	Kabeerdham	Pandariya	Kodwa	126615	Chatari	439810	Mangli	धान	822
851	Kabeerdham	Pandariya	Kodwa	126619	Dalamoha	439801	Bhainsadabra	धान	847
852	Kabeerdham	Pandariya	Kodwa	126619	Dalamoha	439800	Chiyadand	धान	847
853	Kabeerdham	Pandariya	Kodwa	126634	Jhingaradogri	439839	Birainbah	धान	892
854	Kabeerdham	Pandariya	Kodwa	126664	Majholirvan	439811	Manjholi (Khan)	धान	876
855	Kabeerdham	Pandariya	Kodwa	126667	Mathpur	439806	Bhadga	धान	847
856	Kabeerdham	Pandariya	Kodwa	263789	Vicharpur	439808	Bicharpur	धान	846
857	Kabeerdham	Pandariya	Kodwa	263789	Vicharpur	439807	Taktoiya	धान	929
858	Kabeerdham	Pandariya	Kukdur	126703	Sendurkhar	439766	Bangar	धान	846
846	Rajnandgaon	Chhuikhadan	Bakar Katta	263779	Chorladeeh	440277	Chhindari	धान	805
847	Rajnandgaon	Chhuikhadan	Bakar Katta	129863	Kumharwada	440242	Kumharwada	धान	802
848	Rajnandgaon	Chhuikhadan	Bakar Katta	129863	Kumharwada	440247	Tendnbhatha	धान	802
849	Rajnandgaon	Chhuikhadan	Bakar Katta	129887	Sarodhi(Bakarkatta)	440236	Sarodhi(Bakarkatta)	धान	875
850	Rajnandgaon	Chhuikhadan	Salhewara	129841	Golardih	440062	Rangakhar	धान	896
851	Rajnandgaon	Chhuikhadan	Salhewara	129861	Kosmarara	440070	Kasmarra	धान	822
852	Rajnandgaon	Chhuikhadan	Salhewara	903803	Sarodhi (Salhewara)	440061	Sarodhi(Salhewara)	धान	896
853	Rajnandgaon	Chhuriya	Kumarda	129976	Pathandhogi	440982	Datrenga Tola	धान	842
854	Rajnandgaon	Dongargarh	Belgaon	130090	Kalkasa	440609	Kalkasa	धान	790
855	Rajnandgaon	Dongargarh	Belgaon	130090	Kalkasa	440534	Latmarra	धान	790
856	Rajnandgaon	Dongargarh	Belgaon	130090	Kalkasa	440532	Lohjhari	धान	790
857	Rajnandgaon	Dongargarh	Charbhatha	130092	Kaneri	440642	Gundri	धान	979
858	Rajnandgaon	Dongargarh	Charbhatha	130097	Kathitola	440634	Makranpur	धान	828
859	Rajnandgaon	Dongargarh	Charbhatha	130145	Sitagota	440637	Sailpar	धान	828
860	Rajnandgaon	Dongargarh	Chauthna	130128	Pipariya	440688	Matekata	धान	840
861	Rajnandgaon	Dongargarh	Chauthna	130128	Pipariya	440687	Pipariya	धान	783
862	Rajnandgaon	Dongargarh	Lal Bahadur Nagar	130070	Bichhitola	440679	Bichhitola	धान	897
863	Rajnandgaon	Dongargarh	Lal Bahadur Nagar	130142	Sendri	440667	Sendri	धान	766
864	Rajnandgaon	Dongargarh	Musara Kala	130126	Pendri	440574	Pendri	धान	916
865	Rajnandgaon	Gandai	Chaknar	129812	Achanakpur	440092	Jiratola Alis Chuckpur	धान	823
866	Rajnandgaon	Rajnandgaon	Sukul Daihan	130357	Bhanpuri	440855	Bhanpuri	धान	875

4. उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट-2 की तालिका में फसल अलसी हेतु जिलावार अंकित अंतिम सरल क्रमांक के आगे निम्नानुसार सरल क्रमांक में बीमा ईकाई तथा उसके अधिक्रम को जोड़ते हुए थ्रेसहोल्ड उपज अधिसूचित किया जाता है-

S.No	District	Tehsil Name	RI Circle Name	GP Code	GP Name	Village Code in Crop Insurance Portal	Village Name	अधिसूचित फसल	थ्रेसहोल्ड उपज (किग्रा. /हेक्टे.)
106	Rajnandgaon	Ambagarh	Atargaon	129758	Bagnara	441620	Bagnara	अलसी	267

5. उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट-2 की तालिका में फसल राई-सरसों हेतु जिलावार अंकित अंतिम सरल क्रमांक के आगे निम्नानुसार सरल क्रमांक में बीमा ईकाई तथा उसके अधिक्रम को जोड़ते हुए थ्रेसहोल्ड उपज अधिसूचित किया जाता है-

S.No	District	Tehsil Name	RI Circle Name	GP Code	GP Name	Village Code in Crop Insurance Portal	Village Name	अधिसूचित फसल	थ्रेसहोल्ड उपज (किग्रा. /हेक्टे.)
213	Balrampur	Ramanujganj	Vijaynagar	131193	Chinia	431903	Chiniya	राई-सरसो	751
66	Durg	Durg	Anda	124536	Bhanpuri	442607	Bhanpuri	राई-सरसो	417
67	Durg	Durg	Anda	124576	Kuthrel	442608	Kuthrel	राई-सरसो	417
68	Durg	Durg	Anda	124590	Risama	442606	Risama	राई-सरसो	411
69	Durg	Durg	Utai	124555	Dumardih	442597	Dumardih (Part)	राई-सरसो	445
70	Durg	Durg	Utai	124558	Hanoda	442590	Hanoda	राई-सरसो	508
71	Durg	Durg	Utai	124569	Khopali	442599	Khopli	राई-सरसो	441
72	Durg	Patan	Amleshwar	124914	Khamriya (Ku)	442645	Kuruddih	राई-सरसो	452
73	Durg	Patan	Jamgaon (M)	124890	Dewada	442677	Devada	राई-सरसो	444
74	Durg	Patan	Jamgaon (M)	124949	Savni	442674	Saoni	राई-सरसो	444
75	Durg	Patan	Jamgaon (R.)	124932	Nawagaon	442757	Nawagaon	राई-सरसो	444

S.No	District	Tehsil Name	RI Circle Name	GP Code	GP Name	Village Code in Crop Insurance Portal	Village Name	अधिसूचित फसल	थ्रेसहोल्ड उपज (किग्रा. / हेक्टे.)
76	Durg	Patan	Jamgaon (R.)	124944	Pauha	442701	Pauha	राई–सरसो	444
77	Durg	Patan	Patan	124876	Belaidi	442703	Khapri	राई–सरसो	575
78	Durg	Patan	Patan	124913	Khamariya (D)	442724	Khamhariya	राई–सरसो	444
79	Durg	Patan	Ranitarai (Didabhtha)	124906	Jarway	442771	Jarwai (Kesra)	राई–सरसो	444
80	Durg	Patan	Ranitarai (Didabhtha)	124915	Kharra	442708	Barbaspur	राई–सरसो	444
81	Durg	Patan	Ranitarai (Didabhtha)	124915	Kharra	442706	Kharra	राई–सरसो	444
82	Durg	Patan	Selud	124887	Chunkatta	442691	Chunkatta	राई–सरसो	444
83	Durg	Patan	Selud	124930	Mahakakala	442657	Mahka Kalan	राई–सरसो	444
84	Durg	Patan	Selud	124927	Matang	442686	Matang	राई–सरसो	444

शेष शर्तें अधिसूचना क्र. 2976 दिनांक 16-06-2020 के अनुरूप होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

जनसम्पर्क विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 23 मई 2022

क्रमांक एफ 04-07/2019/चौबीस.—छत्तीसगढ़ शासन जनसम्पर्क विभाग के आदेश क्रमांक एफ 04-07/2019/चौबीस, दिनांक 09 जुलाई 2019 द्वारा छत्तीसगढ़ समाचार मीडिया प्रतिनिधि अधिमान्यता नियम, 2019 दिनांक 12 जुलाई 2019 को साधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था. राज्य शासन अब छत्तीसगढ़ समाचार मीडिया प्रतिनिधि अधिमान्यता नियम, 2019 में निम्न संशोधन करता है :—

कण्डिका 6.15 :— अधिमान्यता 02 वर्ष की अवधि के लिए होगी. अधिमान्यता नवीनीकरण का कार्य माह दिसम्बर में किया जाएगा. 30 जनवरी तक निर्धारित प्रपत्र में नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुत नहीं करने की दशा में पुन: नवीन अधिमान्यता हेतु आवेदन करना होगा.

कण्डिका 10 (1) :— मीडिया प्रतिनिधियों को राज्य/जिला स्तरीय अधिमान्यता परिचय पत्र 2 कैलेण्डर वर्ष हेतु 01 जनवरी से 31 दिसम्बर अवधि का जारी किया जायेगा.

कण्डिका 10 (3) :— अधिमान्यता अवधि समाप्ति पश्चात् माह जनवरी के भीतर अधिमान्यता नवीनीकरण नहीं कराये जाने की स्थिति में सम्बन्धित मीडिया प्रतिनिधि को नवीन अधिमान्यता हेतु आवेदन करना होगा.

कण्डिका 10 (4) :— स्वतंत्र पत्रकार/फोटोग्राफर की दशा में उन्हें निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने साथ ही गत 2 कैलेण्डर वर्ष में बाईलाईन प्रकाशित/प्रसारित समाचार/फीचर/फोटो टीवी समाचार चैनल में विशेष रिपोर्ट प्रसारण के फुटेज की छायाप्रति एवं प्राप्त मानदेय राशि के साक्ष्य के रूप में बैंक पास बुक की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा. प्रकाशित बाईलाईन समाचार/फीचर/फोटो की संख्या एवं वार्षिक आय की राशि वही होगी जो अनुसूची-1 (एक) में स्वतंत्र पत्रकार/फोटोग्राफर की पात्रता शर्तों में है.

अनुसूची तीन :— जनसम्पर्क संचालनालय एवं जिला जनसम्पर्क कार्यालयों में समाचार शाखा तथा मीडिया सम्पर्क से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी, फोटोग्राफर, कैमरामैन को राज्य स्तरीय अधिमान्यता.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 1 जून 2022

क्रमांक 1584/एफ 21/28/2006/13/2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) क्रमांक 5840/2009 में पारित आदेश दिनांक 30 मार्च, 2022 के पालन में मेसर्स देबू पॉवर इण्डिया लिमिटेड द्वारा कोरबा जिले के ग्राम रिसदी में ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु आबंटित भूमि के संबंध में उत्पन्न विवाद हेतु माननीय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय को आरबिट्रेटर (Sole Arbitrator) नियुक्त करता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 8 जून 2022

क्रमांक 1686/एफ–21/13/2009/13/2.— यतः, राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित का क्रमशः छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित में विलय करने का विनिश्चय किया है;

और यतः, उत्तरवर्ती संस्थाओं के प्रबंधन और संचालन में सुधार करने हेतु, उत्तरवर्ती कंपनियों का पुनर्गठन करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का सं. 36) की धारा 131 सहपठित धारा 133 और 134 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के परामर्श से, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल अंतरण योजना नियम, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो दिनांक 1 अप्रैल, 2022 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होगा, अर्थातः–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. नियम 3 के खंड (स) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

''(ह) ''निर्धारित तिथि'' से अभिप्रेत है 1 अप्रैल, 2022;

(क्ष) ''होल्डिंग कंपनी की परिसंपत्तियां एवं देनदारियां''से अभिप्रेत है सभी परिसंपत्तियां और देनदारियां, लाभ और हानि खाते और प्रतिधारित अर्जन सहित निग्रह (रिजर्व) और प्रगतिशील व्यवसायिक प्रतिष्ठान के रूप में होल्डिंग कंपनी का संपूर्ण व्यवसाय और इसमें सम्मिलित हैं, सभी आकस्मिक देनदारियां, अनुज्ञा और रियायतें, अनुज्ञप्ति, अनुबंध, जमा, निवेश और बौद्धिक संपदा;

(त्र) ''ट्रेडिंग कंपनी की परिसंपत्तियां एवं देनदारियां'' से अभिप्रेत है सभी परिसंपत्तियां और देनदारियां, लाभ और हानि खाते और प्रतिधारित अर्जन सहित निग्रह (रिजर्व) और प्रगतिशील व्यवसायिक प्रतिष्ठान के रूप में ट्रेडिंग कंपनी का संपूर्ण व्यवसाय और इसमें सम्मिलित हैं, सभी आकस्मिक देनदारियां, अनुज्ञा और रियायतें, अनुज्ञप्ति, अनुबंध, जमा, निवेश और बौद्धिक संपदा;

(ज्ञ) ''अवधि'' से अभिप्रेत है 48 (अड़तालीस) महीनों की समयावधि;

(कक) ''एनएफए'' से अभिप्रेत है शुद्ध स्थिर परिसंपत्ति;

(कख) ''सीडब्ल्यूआईपी'' से अभिप्रेत है प्रगति पर पूंजीगत कार्य.''

2. नियम 6 के खंड (ड.) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

''(च) निर्धारित तिथि के पश्चात् और नीचे दिये गये नियम 7ख और 7ग के प्रभावी होने के पश्चात्, यदि यह निर्धारित किया जाता है कि ट्रेडिंग कंपनी द्वारा अलग–अलग बैंक खातों में विद्युत के विक्रय से कोई अतिरिक्त राजस्व उपलब्ध है, जो कि राज्य सरकार की ओर से ट्रेडिंग कंपनी द्वारा अनुरक्षित रखी गई थी, तो इस तरह के अतिशेष राजस्व का 40 प्रतिशत, राज्य सरकार द्वारा प्रतिधारित किया जाएगा और इस तरह के अतिशेष राजस्व का शेष 60 प्रतिशत, राज्य सरकार द्वारा उत्पादन कंपनी, वितरण कंपनी और पारेषण कंपनी को इक्विटी अंशदान के रूप में,ऐसे निवेश की तारीख पर इन कंपनियों में विद्यमान इक्विटी अंशदान के अनुपात में सीधे प्रेषित किया जाएगा.''

3. नियम 7 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

''7क. होल्डिंग कंपनी द्वारा किए गए इक्विटी निवेशों का राज्य सरकार में निहित होना–

(1) निर्धारित तिथि पर, होल्डिंग कंपनी द्वारा किए गए इक्विटी निवेश/होल्डिंग कंपनी द्वारा उत्पादन कंपनी, वितरण कंपनी, पारेषण कंपनी और ट्रेडिंग कंपनी में धारित शेयर, राज्य सरकार में निहित हो जायेंगे और इस तरह के निहित होने को, विधि के प्रवर्तन द्वारा हस्तांतरित/पारेषित माना जाएगा. कंपनियां, इस तरह के निहित होने को लागू करने के लिए, अपने संबंधित सदस्यों की पंजी और अन्य अभिलेखों में संशोधन करने के लिए आवश्यक कदम उठायेंगी। शेयरों के ऐसे निहित होने के अनुसरण में, राज्य सरकार उत्पादन कंपनी, वितरण कंपनी, पारेषण कंपनी और ट्रेडिंग कंपनी में 100 प्रतिशत इक्विटी धारित करेगी.

(2) उपरोक्त उप–नियम (1) में निर्धारित अनुसार निहित होने के अनुसरण में, होल्डिंग कंपनी द्वारा किए गए निवेश, जैसा कि लेखा पुस्तकों में दर्शाया गया है, होल्डिंग कंपनी की शेयर पूंजी के विरूद्ध बट्टे खाते में डाला जाएगा और परिणामतः होल्डिंग कंपनी की शेयर पूंजी, बट्टे खाते में डाले जा रहे निवेश की सीमा तक कम हो जाएगी.''

7ख. होल्डिंग कंपनी का पारेषण कंपनी में हस्तांतरण और समामेलन .–

(1) नियम 7क के अधीन और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(1ख) के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार के साथ इक्विटी निवेश के निहित होने पर, होल्डिंग कंपनी,पारेषण कंपनी में समामेलित हो जाएगी और होल्डिंग कंपनी की संपत्ति और देनदारियां (निर्धारित तिथि पर होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट के अनुसार), किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किये गये या निष्पादित कोई अग्रतर कार्य, लिखत, विलेख, सारलेख या बात की अपेक्षा के बिना,प्रगतिशील व्यवसायिक प्रतिष्ठान के रूप में पारेषण कंपनी में समामेलित और निहित हो जायेंगी,ताकि वे इन नियमों के आधार पर और इन नियमों में उपबंधित रीति में पारेषण कंपनी की परिसंपत्ति और देनदारियां बन सकें.

(2) उपरोक्त उप–नियम (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपरोक्त उप–नियम (1) में उपबंधित अनुसार होल्डिंग कंपनी के हस्तांतरण और समामेलन का निम्नलिखित प्रभाव होगा :–

(एक) **व्यवसाय :–** निर्धारित तिथि को होल्डिंग कंपनी के व्यवसाय, अधिकार, स्वत्व, हित,शक्तियां, दावे, अनुज्ञप्ति, प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुमोदन, अनुमतियां, प्रोत्साहन, ऋण, रियायतें, अनुदान, देनदारियां और विशेषाधिकार,पारेषण कंपनी में हस्तांतरित और निहित हो जायेंगी.

(दो) **परिसंपत्ति :–** होल्डिंग कंपनी की परिसंपत्ति, संपत्ति, चाहे वह चल हो या अचल हो (भू–खण्ड, आवासीय और वाणिज्यिक भवनों के साथ फिक्स्चर और वाहनों सहित), वास्तविक और व्यक्तिगत, साख, प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट), बौद्धिक संपदा, नकद शेष, पूंजी, संरक्षित निधि, प्राप्य विशेष संरक्षित निधि, निवेश, स्टॉक, शेयर, लाभांश, बांड, डिबेंचर, प्रतिभूतियां और किसी भी प्रकृति के अन्य लिखत, चाहे निर्धारित तिथि को होल्डिंग कंपनी की लेखा पुस्तकों में दर्ज हों या न हो, पारेषण कपंनी को हस्तांतरित हो जायेंगे :

परंतु यह कि निर्धारित तिथि पर, होल्डिंग कंपनी की अचल संपत्तियां/परिसंपत्तियां, जो या तो स्वतंत्र कब्जे में हैं या उत्पादन कंपनी और/या वितरण कंपनी (अन्य उत्तराधिकारी कंपनियों के साथ) के संयुक्त कब्जे में हैं और/या अपने संबंधित व्यवसाय संचालन के उद्देश्य से या अपने संबंधित कर्मचारियों के आवास के उद्देश्य से, उत्पादन कंपनी और/या वितरण कंपनी, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा उपयोग की जा रही हैं,वह उत्पादन कंपनी और/या वितरण कंपनी द्वारा उपयोग किया जाना जारी रखा जाएगा. यदि आवश्यक हो, तो सशक्त समिति के निर्णय के अनुसार, पारेषण कंपनी, अचल संपत्ति को उनके उपयोग की सुविधा हेतु उत्पादन कंपनी और/या वितरण कंपनी के पक्ष में पट्टे या उपयोग के अधिकार के लिये,ऐसे निर्बंधन और शर्तों पर, जैसा कि पारेषण कंपनी और/या उत्पादन कंपनी और/या वितरण कंपनी के बीच परस्पर सहमति हो, अनुबंध निष्पादित करेगी.

(तीन) **अनुबंध** :– पारेषण कंपनी, अनुबंधों, मुख्तियारनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी),विधिक प्रतिनिधित्व के अनुदान और करारों के लिए, जिसमें होल्डिंग कंपनी एक पक्षकार है (और जो निर्धारित तिथि पर विद्यमान है या प्रभावी है), उसी रीति में उत्तरदायी होगी, जैसा कि होल्डिंग कंपनी निर्धारित तिथि से ठीक पहले उत्तरदायी थी और वह पारेषण कंपनी के विरूद्ध या उसके पक्ष में प्रवृत्त और प्रभावी रहेगी और इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा,मानों कि होल्डिंग कंपनी के बजाय पारेषण कंपनी उसमें एक पक्षकार थी। इस संबंध में किसी अन्य पक्ष से किसी सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी.

(चार) **प्रोत्साहन राशि :–** किसी अग्रतर कार्य या विलेख के बिना, होल्डिंग कंपनी द्वारा प्राप्त या उपभोग की गई सभी प्रोत्साहन राशि, सब्सिडी, छूट, आयकर अवकाश या लाभ या हानि तथा अन्य लाभ अथवा विशेषाधिकार, निर्धारित तिथि पर, उन्हीं निर्बंधनों और शर्तों पर,पारेषण कंपनी में निहित होंगे और उनको उपलब्ध होंगे, जैसे कि उसे पारेषण कंपनी को आवंटित या प्रदाय की गई हो या स्वीकृति या अनुमति दी गई हो.

(पांच) **होल्डिंग कंपनी के पक्ष में सृजित प्रतिभूति या हितः–** बंधक, दृष्टिबंधक, गिरवी, ग्रहणाधिकार के माध्यम से या किसी अन्य रूप में या प्रतिभूति के सृजन के तरीके के रूप में, होल्डिंग कंपनी के पक्ष में या उसके लाभ के लिए सृजित की गई कोई भी प्रतिभूति तथा होल्डिंग कंपनी के पक्ष में या उसके लाभ के लिए सभी गारंटी, आश्वासन–पत्र, साख–पत्र या इसी तरह के अन्य लिखत, यदि कोई हो, किसी अग्रतर कार्य, विलेख या बात के बिना, पारेषण कंपनी में हस्तांतरित और निहित हो जायेंगे तथा इसे इस प्रकार लागू किया जाएगा, जैसे कि पारेषण कंपनी, होल्डिंग कंपनी के बजाय उसमें लाभार्थी या पक्षकार रही थी। इस संबंध में किसी अन्य पक्ष से किसी सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी.

(छः) **देयताएं :–** होल्डिंग कंपनी की सभी देनदारियां, लिये गये और उपयोग किए गए ऋण, कर्तव्य और दायित्व, चाहे वह होल्डिंग कंपनी की लेखा पुस्तकों में दर्ज किए गए हो या नहीं, किसी अग्रतर कार्य, लिखत या विलेख या बात के बिना, पारेषण कंपनी में उस सीमा तक हस्तांतरित और निहित हो जायेंगे, जिस तक वे निर्धारित तिथि को बकाया हैं, ताकि वे उस तारीख से पारेषण कंपनी के ऋण, देनदारियां, उधार, दायित्व और कर्तव्य बन जायें तथा पारेषण कंपनी उनकी प्रतिपूर्ति करें, उनका निर्वहन करें, उन्हें पूरा करें तथा आगे इसके लिए किसी तीसरे पक्ष या अन्य व्यक्ति,जो किसी अनुबंध या व्यवस्था के संबंध में एक पक्षकार है, जिसके आधार पर इन नियमों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए ऐसे ऋण या देनदारियां उत्पन्न हुई हैं, की सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा.

(सात) **भारः—**निर्धारित तिथि पर विद्यमान सभी भार, यदि कोई हो, जो होल्डिंग कंपनी की परिसंपत्तियों पर सृजित हो, निर्धारित तिथि के उपरांत, किसी अग्रतर कार्य, लिखत या विलेख के बिना, ऐसी परिसंपत्ति या उसके किसी भाग से इस प्रकार संबंधित और संलग्न रहेंगी, जिस प्रकार वे निर्धारित तिथि से पूर्व संबंधित या संलग्न हों.

(आठ) **विधिक, कराधान और अन्य कार्यवाहियां :—**होल्डिंग कंपनी द्वारा या उसके विरूद्ध, किसी भी विधि के अधीन, निर्धारित तिथि पर लंबित, सभी विधिक और कराधान या अन्य कार्यवाहियां (किसी भी वैधानिक या अर्ध वैधानिक प्राधिकरण या अधिकरण या न्यायालयों के समक्ष सहित), पारेषण कंपनी द्वारा या उसके विरूद्ध प्रभावी रूप से एवं उसी रीति में और उसी सीमा तक जारी और प्रवर्तित रहेंगी, मानों कि इसे पारेषण कंपनी द्वारा या उसके विरूद्ध, जैसी भी स्थिति हो,संस्थापित किया गया हो। इस तरह की कार्यवाहियों से उद्भूत होने वाली देनदारियों या दावों तथा ऐसे विवादों से उद्भूत होने वाली वसूली/प्रतिदायका आवंटन,पारेषण कंपनी, उत्पादन कंपनी और वितरण कंपनी के बीच किया जायेगा, जो कि नियत तिथि के अनुसार कंपनियों के एनएफए और सीडब्ल्यूआईपी के योग के अनुपात में अर्थात उत्पादन कंपनी, पारेषण कंपनी और वितरण कंपनी के बीच क्रमशः 49:15:36 के अनुपात में होगा। कार्मिकों से संबंधित विवाद के समाधान पर देयताओं का आवंटन,नियत तिथि के अनुसार कर्मचारी अनुपात में अर्थात उत्पादन कंपनी, पारेषण कंपनी और वितरण कंपनी के बीच क्रमशः 27:11:62 के अनुपात में किया जाएगा.

(नौ) **कराधान मामले :—**

(क) होल्डिंग कंपनी द्वारा भुगतान/देय या प्रतिदाय योग्य, सभी कर (विवादित कर मांगों, अग्रिम कर, स्रोत पर कर कटौती, न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट, मूल्य वर्धित कर, बिक्री कर, सेवा कर, माल और सेवा कर इत्यादि सहित, किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं), के साथ साथ सभी या किसी भी प्रतिदाय (वापसी योग्य) या विवादित कर मांगें, यदि पुष्टि या दावा की गई है, को पारेषण कंपनी की कर भुगतान/देयता या प्रतिदाय/दावा, जैसी भी स्थिति हो, मानी जायेंगी तथा कोई भी प्रोत्साहन राशि, लाभ, विशेषाधिकार, छूट, क्रेडिट, अवकाश, परिहार, कटौती, सब्सिडी, अनुदान, विशेष दर्जा, अन्य लाभ, जो कि होल्डिंग कंपनी को उपलब्ध होते, पारेषण कंपनी को उपलब्ध होंगे.

(ख) होल्डिंग कंपनी की, आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कर हानि, अनवशोषित मूल्यह्रास और न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट, होल्डिंग कंपनी को उपलब्ध कोई भी अप्रयुक्त क्रेडिट/बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर/माल और सेवा कर के अग्रिम भुगतान, यदि कोई हो, इन नियमों के अभिन्न अंग के रूप में, किसी भी विशिष्ट अनुमोदन या अनुमति की अपेक्षा के बिना, पारेषण कंपनी को स्वतः हस्तांतरित हो जायेंगे.

(ग) पारेषण कंपनी को अपने कर विवरणी और अन्य वैधानिक विवरणियों को पुनरीक्षण करने और दायर करने की स्पष्ट अनुमति होगी, जिसमें यथा प्रयोज्य आयकर विवरणी, स्रोत विवरणी पर कर कटौती/संग्रहण कर, माल और सेवा कर विवरणी इत्यादि सम्मिलित हैं तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115ञख के अधीन अपने विवरणी में ऐसा प्रावधान करने और प्रतिदाय, अग्रिम कर क्रेडिट; कर के क्रेडिट, लाभांश वितरण कर के क्रेडिट, स्रोत पर कर कटौती के क्रेडिट, भुगतान/रोकी गई विदेशी करों के क्रेडिट इत्यादि, यदि कोई हो, का दावा करने का अधिकार, जैसा कि नियमों के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए/परिणामतः आवश्यक हो सकता है, स्पष्ट रूप से संरक्षित किया गया है। इस तरह की विवरणी को पुनरीक्षित और दायर किया जा सकता है, भले ही इस तरह के पुनरीक्षित और दायर करने की वैधानिक अवधि समाप्त हो गई हो.

(दस) उपरोक्त उप–नियम (2) के ये प्रावधान, किसी भी लिखत, विलेख या लेख या मंजूरी की शर्तों या किसी विषय या किसी भी सुरक्षा दस्तावेज में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रवर्तित रहेंगे, जिनमें से सभी लिखत, विलेख या लेख, पूर्वगामी प्रावधानों द्वारा संशोधित और/या अधिक्रमित माने जायेंगे.

(3) होल्डिंग कंपनी का पारेषण कंपनी में हस्तांतरण और समामेलन,होल्डिंग कंपनी के ऐसे व्यवसाय और/या परिसंपत्तियों और देनदारियों के मूल्य के निर्धारण के होते हुए भी, निर्धारित तिथि पर तत्काल प्रभावी होंगे और यदि आवश्यक हो तो, उसे पश्चात्वर्ती तारीख में निर्धारित किया जा सकता है.

(4) **लेखांकन संव्यवहार और अनुपालन–**

(एक) होल्डिंग कंपनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों को,निर्धारित तिथि को एवं लागू लेखांकन मानकों के अनुसार होल्डिंग कंपनी के खाता पुस्तकों में प्रदर्शित होने वाली उनकी संबंधित अग्रणीत राशियों में तथा लेखांकन नीतियों की एकरूपता सुनिश्चित करने के सिवाय, उसी रूप में, पारेषण कंपनी के खाता पुस्तकों में दर्ज किया जाएगा.

(दो) होल्डिंग कंपनी के लाभ और हानि खाते की शेष राशि और प्रतिधारित अर्जन सहित निग्रह (रिजर्व) की पहचान को संरक्षित किया जाएगा और वे पारेषण कंपनी के वित्तीय विवरणों में उसी रूप में और उसी रीति में प्रतिदर्शित रहेंगे, जिस प्रकार वे इस नियम के प्रभावी होने से पूर्व होल्डिंग कंपनी के वित्तीय विवरणों में प्रतिदर्शित थे.

(तीन) उपरोक्त उप–नियम (1) और उप–नियम (2) के अनुसार अंतरिती कंपनी के खाता पुस्तकों में दर्ज की गई अंतरणकर्ता कंपनियों की परिसंपत्तियों, देनदारियों और निग्रह (रिजर्व) के मूल्य के बीच के अंतर को, इन नियमों के उप–नियम (6) के निबंधनों में पारेषण कंपनी द्वारा जारी और आवंटित किए गये नए इक्विटी शेयरों के कुल अंकित मूल्य को घटाकर, पारेषण कंपनी की पुस्तकों में ''पूंजीगत संरक्षित खाते'' में हस्तांतरित किया जाएगा.

(चार) होल्डिंग कंपनी और पारेषण कंपनी के बीच अन्तः–कंपनी जमा, ऋण और अन्य शेष और निवेश, यदि कोई हो, को रद्द कर दिया जाएगा और इस संबंध में कोई अग्रतर दायित्व/बकाया नहीं होगा.

(पांच) पारेषण कंपनी के समेकित आरंभिक बैलेंस शीट को, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर अंतिम रूप दिया जाएगा और अधिसूचित किया जाएगा.

(5) **पूंजी का समेकन–**

(एक) होल्डिंग कंपनी की अधिकृत पूंजी को, पारेषण कंपनी की ओर से किसी अग्रतर कार्य या विलेख की किसी अपेक्षा के बिना, पारेषण कंपनी की अधिकृत पूंजी में जोड़ा गया माना जाएगा, जैसे कि पारेषण कंपनी की अधिकृत पूंजी भारतीय रूपये 1,23,00,00,00,000/– होगा, जिसमें किसी अग्रतर कार्य, विलेख, संकल्प या लेखन के बिना, प्रत्येक 10 भारतीय रूपये के 12,30,00,00,000 इक्विटी शेयर समाविष्ट है.

(दो) अधिकृत पूंजी में समेकन और वृद्धि के अनुसार, पारेषण कंपनी के संस्थापन ज्ञापन और संस्थापन लेख किसी अग्रतर कार्य, लिखत या विलेख की किसी अपेक्षा के बिना, परिवर्तित, उपांतरित या संशोधित हो जाएंगे, जैसे कि संस्थापन ज्ञापन के खंड (पांच) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता हैः

''कंपनी की अधिकृत पूंजी भारतीय रूपये 1,23,00,00,00,000 है, जिसमें प्रत्येक 10 भारतीय रूपये के 12,30,00,00,000 इक्विटी शेयर समाविष्ट है.''

(6) छत्तीसगढ़ शासन को नए शेयर का जारी किया जाना–उपरोक्त उप–नियम (5) के अधीन अधिकृत पूंजी में समेकन और वृद्धि के पश्चात् और होल्डिंग कंपनी के पारेषण कंपनी में हस्तांतरण और समामेलन के फलस्वरूप, पारेषण कंपनी में प्रत्येक 10 भारतीय रुपये के 3,48,32,761 इक्विटी शेयरों को छत्तीसगढ़ शासन को आवंटित किया जायेगा, जो पूरी तरह से भुगतान के रूप में क्रेडिट होगा(यह मानते हुए कि अन्तः–कंपनी निवेश, प्राप्य और देय राशि को निवल (नेटेड ऑफ) किया जाएगा)। पारेषण कंपनी द्वारा छत्तीसगढ़ शासन को शेयरों को जारी और आबंटित किया जाना इन नियमों का एक अभिन्न अंग होगा और इनका सम्यक् अनुपालन करते हुए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और धारा 62 के अधीन इसे प्रक्रिया के रूप में किया गया माना जाएगा.

(7) होल्डिंग कंपनी के पारेषण कंपनी में हस्तांतरण और समामेलन के अनुसरण में, होल्डिंग कंपनी, परिसमापन के बिना, विलय और विघटित हो जाएगी.

7ग. वितरण कंपनी में ट्रेडिंग कंपनी का हस्तांतरण और समामेलन.–

(1) नियम 7क के अधीन, जो कि निर्धारित तिथि को प्रभावशील होगी और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(1ख) के प्रावधानों के अनुसार, राज्य शासन के साथ इक्विटी निवेश के निहित होने पर, ट्रेडिंग कंपनी, वितरण कंपनी में समामेलित हो जाएगी और ट्रेडिग कंपनी की परिसंपत्ति और देनदारियां (निर्धारित तिथि पर ट्रेडिग कंपनी की बैलेंस शीट के अनुसार), किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किये गये या निष्पादित किसी अग्रतर कार्य, लिखत, विलेख, सारलेख या बात की अपेक्षा के बिना, संदर्भानुसार, वितरण कंपनी में समामेलित और निहित हो जायेंगी, ताकि वे इन नियमों के आधार पर और इन नियमों में उपबंधित रीति में वितरण कंपनी की परिसंपत्तिया और देनदारियां बन सकें.

(2) उपरोक्त उप–नियम (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपरोक्त उप–नियम (1) में उपबंधित अनुसार ट्रेडिंग कंपनी के हस्तांतरण और समामेलन का निम्नलिखित प्रभाव होगा :–

(एक) **व्यवसाय :–**निर्धारित तिथि को ट्रेडिग कंपनी के व्यवसाय, अधिकार, स्वत्व, हित, शक्तियां, दावे, अनुज्ञप्ति, प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुमोदन, अनुमतियां, प्रोत्साहन, ऋण, रियायतें, अनुदान, देनदारियां और विशेषाधिकार, वितरण कंपनी में हस्तांतरित और निहित हो जायेंगे.

(दो) **परिसंपत्तिया :–** ट्रेडिंग कंपनी की परिसंपत्तियों, संपत्तियां, चाहे वह चल हो या अचल हो (भू–खण्ड, आवासीय और वाणिज्यिक भवनों के साथ फिक्स्चर और वाहनों सहित), वास्तविक और व्यक्तिगत, साख, प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराईट), बौद्धिक संपदा, नकद शेष, पूंजी, संरक्षित निधि, प्राप्य विशेष संरक्षित निधि, निवेश, स्टॉक, शेयर, लाभांश, बांड, डिबेंचर, प्रतिभूतियां और किसी भी प्रकृति के अन्य लिखत, चाहे वह निर्धारित तिथि को ट्रेडिंग कंपनी की पुस्तकों में दर्ज हों या न हो, वितरण कपंनी को हस्तांतरित हो जायेंगे.

(तीन) **अनुबंध :–** वितरण कंपनी, अनुबंधों, मुख्तियारनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी), विधिक प्रतिनिधित्व के अनुदान और करारों के लिए, जिसमें ट्रेडिग कंपनी एक पक्षकार है (जिसमें वह करार भी सम्मिलित है, जो ट्रेडिग कंपनी द्वारा राज्य शासन के प्रतिनिधि के रूप में निष्पादित किया गया है) (और जो निर्धारित तिथि पर विद्यमान है या प्रभावी है), उसी रीति में उत्तरदायी होगी, जैसा कि ट्रेडिग कंपनी निर्धारित तिथि से ठीक पहले उत्तरदायी थी और वह वितरण कंपनी के विरूद्ध या उसके पक्ष में प्रवृत्त और प्रभावी रहेगी तथा इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा, मानों कि ट्रेडिग कंपनी की अपेक्षा वितरण कंपनी उसमें एक पक्षकार थी. इस संबंध में किसी अन्य पक्ष से किसी सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी.

(चार) **प्रोत्साहन राशि :–** किसी अग्रतर कार्य या विलेख के बिना, ट्रेडिग कंपनी द्वारा प्राप्त या उपभोग की गई सभी प्रोत्साहन राशि, सब्सिडी, छूट, आयकर अवकाश या लाभ या हानि तथा अन्य लाभ अथवा विशेषाधिकार, निर्धारित तिथि पर, उन्हीं निर्बंधनों और शर्तों पर,वितरण कंपनी में निहित होंगे और उनको उपलब्ध होंगे, जैसे कि उसे वितरण कंपनी को आवंटित या प्रदाय की गई हो या स्वीकृति या अनुमति दी गई हो.

(पांच) **ट्रेडिग कंपनी के पक्ष में सृजित प्रतिभूति या हित :–** बंधक, दृष्टिबंधक, गिरवी, ग्रहणाधिकार के माध्यम से या किसी अन्य रूप में या प्रतिभूति के सृजन के तरीके के रूप में, ट्रेडिग कंपनी के पक्ष में या उसके लाभ के लिए सृजित की गई कोई भी प्रतिभूति तथा ट्रेडिग कंपनी के पक्ष में या उसके लाभ के लिए सभी गारंटी, आश्वासन पत्र, साख पत्र या इसी तरह के अन्य लिखत, यदि कोई हो, किसी अग्रतर कार्य, विलेख या बात के बिना, वितरण कंपनी में हस्तांतरित और निहित हो जायेंगे तथा इसे इस प्रकार लागू किया जाएगा, जैसे कि वितरण कंपनी, ट्रेडिग कंपनी की अपेक्षा उसमें लाभार्थी या पक्षकार रही थी। इस संबंध में किसी अन्य पक्ष से किसी सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी.

(छः) **देयताए :–** ट्रेडिग कंपनी की सभी देनदारियां, लिये गये और उपयोग किए गए ऋण, कर्तव्य और दायित्व, चाहे वह ट्रेडिग कंपनी की पुस्तकों में दर्ज किए गए हों या नहीं, किसी अग्रतर कार्य, लिखत या विलेख या बात के बिना, वितरण कंपनी में उस सीमा तक हस्तांतरित और निहित हो जायेंगे, जिस तक वे निर्धारित तिथि को बकाया हैं, ताकि वे उस तारीख से वितरण कंपनी के ऋण, देनदारियां, उधार, दायित्व और कर्तव्य बन जायें तथा वितरण कंपनी उनकी प्रतिपूर्ति करें, उनका निर्वहन करें, उन्हें पूरा करें तथा आगे इसके लिए किसी तीसरे पक्ष या अन्य व्यक्ति, जो किसी अनुबंध या व्यवस्था के संबंध में एक पक्षकार है, जिसके आधार पर इन नियमों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए ऐसे ऋण या देनदारियां उत्पन्न हुई हैं, की सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा.

(सात) **भारः–** निर्धारित तिथि के पूर्व विद्यमान सभी भार, यदि कोई हो, जो ट्रेडिंग कंपनी की परिसंपत्तियों पर सृजित हो, किसी अग्रतर कार्य, लिखत या विलेख के बिना, निर्धारित तिथि के उपरांत, ऐसी परिसंपत्ति या उसके किसी भाग से इस प्रकार संबंधित और संलग्न रहेंगे, जिस प्रकार वे निर्धारित तिथि से पूर्व संबंधित या संलग्न हों.

(आठ) **विधिक, कराधान और अन्य कार्यवाहियां :–** ट्रेडिंग कंपनी द्वारा या उसके विरूद्ध, किसी भी विधि के अधीन, निर्धारित तिथि पर लंबित, सभी विधिक और कराधान या अन्य कार्यवाहियां (किसी भी वैधानिक या अर्ध–वैधानिक प्राधिकरण या अधिकरण या न्यायालयों के समक्ष सहित), वितरण कंपनी द्वारा या उसके विरूद्ध प्रभावी रूप से तथा उसी रीति में और उसी सीमा तक जारी और प्रवर्तित रहेंगी, मानों कि उसे वितरण कंपनी द्वारा या उसके विरूद्ध,जैसी भी स्थिति हो, संस्थापित किया गया हो.

(नौ) **कराधान मामले :–**

(क) ट्रेडिग कंपनी द्वारा भुगतान/देय या प्रतिदाय योग्य, सभी कर (विवादित कर मांगों, अग्रिम कर, स्रोत पर कर कटौती, न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट, मूल्य वर्धित कर, बिक्री कर, सेवा कर, माल और सेवा कर इत्यादि सहित, किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं) के साथ साथ सभी या किसी भी प्रतिदाय (वापसी योग्य) या विवादित कर मांगें, यदि पुष्टि या दावा की गई हैं, को वितरण कंपनी की कर भुगतान/देयता या प्रतिदाय/दावा, जैसी भी स्थिति हो, मानी जायेंगी तथा कोई भी प्रोत्साहन राशि, लाभ, विशेषाधिकार, छूट, क्रेडिट, अवकाश, परिहार, कटौती, सब्सिडी, अनुदान, विशेष दर्जा, अन्य लाभ, जो कि ट्रेडिग कंपनी को उपलब्ध होते, वितरण कंपनी को उपलब्ध होंगे.

(ख) ट्रेडिग कंपनी की, आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कर हानि, अनवशोषित मूल्यह्रास और न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट, ट्रेडिग कंपनी को उपलब्ध कोई भी अप्रयुक्त क्रेडिट/बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर/ माल और सेवा कर के अग्रिम भुगतान, यदि कोई हो, इन नियमों के अभिन्न अंग के रूप में, किसी भी विशिष्ट अनुमोदन या अनुमति की अपेक्षा के बिना, वितरण कंपनी में स्वतः हस्तांतरित हो जायेंगे.

(ग) वितरण कंपनी को अपने कर विवरणी और अन्य वैधानिक विवरणी को पुनरीक्षण करने और दायर करने की स्पष्ट अनुमति होगी, जिसमें यथा प्रयोज्य आयकर विवरणी, स्रोत विवरणी पर कर कटौती/संग्रहण कर, माल और सेवा कर विवरणी इत्यादि सम्मिलित हैं तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115ञख के अधीन अपने विवरणी में ऐसा प्रावधान करने और प्रतिदाय, अग्रिम कर क्रेडिट; कर के क्रेडिट, लाभांश वितरण कर के क्रेडिट, स्रोत पर कर कटौती के क्रेडिट, भुगतान/रोकी गई विदेशी करों के क्रेडिट इत्यादि, यदि कोई हो, का दावा करने का अधिकार, जैसा कि नियमों के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए/परिणामतः आवश्यक हो सकता है, स्पष्ट रूप से संरक्षित किया गया है। इस तरह की विवरणी को पुनरीक्षित और दायर किया जा सकेगा, भले ही इस तरह के पुनरीक्षण और दायर करने की वैधानिक अवधि समाप्त हो गई हो.

(दस) उपरोक्त उप–नियम (2) के प्रावधान, किसी भी लिखत, विलेख या लेख या मंजूरी की शर्तों या किसी विषय या किसी भी सुरक्षा दस्तावेज में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रवर्तित रहेंगे, जिनमें से सभी लिखत, विलेख या लेख, पूर्वगामी प्रावधानों द्वारा संशोधित और/या अधिक्रमित माने जायेंगे.

(3) ट्रेडिंग कंपनी का वितरण कंपनी में हस्तांतरण और समामेलन, ट्रेडिग कंपनी के ऐसे व्यवसाय और/या परिसंपत्तियों और देनदारियों के मूल्य के निर्धारण के होते हुए भी, निर्धारित तिथि पर तत्काल प्रभावी होगा और यदि आवश्यक हो तो, उसे पश्चात्वर्ती तारीख में निर्धारित किया जा सकेगा.

(4) **लेखांकन संव्यवहार तथा अनुपालन–**

(एक) ट्रेडिंग कंपनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों को, निर्धारित तिथि को एवं लागू लेखांकन मानकों के अनुसार ट्रेडिंग कंपनी के खाता पुस्तकों में प्रदर्शित होने वाली उनकी संबंधित अग्रणीत राशियों में तथा लेखांकन नीतियों की एकरूपता सुनिश्चित करने के सिवाय, उसी रूप में, वितरण कंपनी के खाता पुस्तकों में दर्ज किया जाएगा.

(दो) ट्रेडिंग कंपनी के लाभ और हानि खाते की शेष राशि और प्रतिधारित अर्जन सहित निग्रह (रिजर्व) की पहचान को संरक्षित किया जाएगा और वे वितरण कंपनी के वित्तीय विवरणों में उसी रूप में और उसी रीति में प्रतिदर्शित रहेंगे, जिस प्रकार वे इस नियम के प्रभावी होने से पूर्व ट्रेडिंग कंपनी के वित्तीय विवरणों में प्रतिदर्शित थे.

(तीन) उपरोक्त उप–नियम (1) और उप–नियम (2) के अनुसार अंतरिती कंपनी के खाता पुस्तकों में दर्ज की गई अंतरणकर्ता कंपनियों की परिसंपत्तियों, देनदारियों और निग्रह (रिजर्व) के मूल्य के बीच के अंतर को, इन नियमों के उप–नियम (6) के निर्बंधनों में वितरण कंपनी द्वारा जारी और आवंटित किए गये नए इक्विटी शेयरों के कुल अंकित मूल्य को घटाकर, वितरण कंपनी की पुस्तकों में ''पूंजीगत संरक्षित खाते'' में हस्तांतरित किया जाएगा.

(चार) ट्रेडिंग कंपनी और वितरण कंपनी के बीच अन्तः–कंपनी जमा, ऋण और अन्य शेष और निवेश, यदि कोई हो, को रद्द कर दिया जाएगा और इस संबंध में कोई अग्रतर दायित्व/बकाया नहीं होगा.

(पांच) इन नियमों की अनुसूची–चार के भाग–दो के खंड (छ) (दो) (ख) में यथा उल्लिखित ट्रेडिंग कंपनी के कार्यों के अनुसार, ट्रेडिंग कंपनी द्वारा विद्युत के विक्रय करने पर प्राप्त धन के लिए अलग–अलग खाते को अनुरक्षित रखने के लिए ट्रेडिंग कंपनी को बाध्य किया गया था,निर्धारित तिथि के उपरांत, राज्य शासन के प्रतिनिधि के रूप में वितरण कंपनी द्वारा किए गए विद्युत व्यापार की किसी भी गतिविधि के लिए इस तरह के अलग बैंक खाते को अनुरक्षित रखने के लिए, वितरण कंपनी बाध्य नहीं होगी। तद्नुसार, वितरण कंपनी को उपरोक्त संव्यवहार के लिए आंतरिक ज्ञापन खातों को अनुरक्षित रखने की आवश्यकता होगी.

(छः) वितरण कंपनी के समेकित आरंभिक बैलेंस शीट को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर अंतिम रूप दिया जाएगा और अधिसूचित किया जाएगा.

(5) **पूंजी का समेकन–**

(एक) ट्रेडिंग कंपनी की अधिकृत पूंजी को, वितरण कंपनी की ओर से किसी अग्रतर कार्य या विलेख की किसी अपेक्षा के बिना, वितरण कंपनी की अधिकृत पूंजी में जोड़ा गया माना जाएगा, जैसे कि वितरण कंपनी की अधिकृत पूंजी भारतीय रूपये 33,00,25,00,000/– होगा, जिसमें किसी अग्रतर कार्य, विलेख, संकल्प या लेखन के बिना, प्रत्येक 10 भारतीय रूपये के 3,30,02,50,000 इक्विटी शेयर समाविष्ट है.

(दो) अधिकृत पूंजी में समेकन और वृद्धि के अनुसार, वितरण कंपनी के संस्थापन ज्ञापन और संस्थापन लेख, किसी अग्रतर कार्य, लिखत या विलेख की किसी अपेक्षा के बिना, परिवर्तित, उपांतरित या संशोधित हो जाएंगे, जैसे कि संस्थापन ज्ञापन के खण्ड (पांच) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता हैः–

''कंपनी की अधिकृत पूंजी भारतीय रूपये 33,00,25,00,000 है, जिसमें प्रत्येक 10 भारतीय रूपये के 3,30,02,50,000 इक्विटी शेयर समाविष्ट है.''

(6) छत्तीसगढ़ शासन को नए शेयर का जारी किया जाना– उपरोक्त उप–नियम (5) के अधीन अधिकृत पूंजी में समेकन और वृद्धि के पश्चात और ट्रेडिंग कंपनी के वितरण कंपनी में हस्तांतरण और समामेलन के फलस्वरूप, वितरण कंपनी में प्रत्येक 10 भारतीय रुपये के 50,000 इक्विटी शेयरों को छत्तीसगढ़ शासन को आवंटित किया जाएगा, जो पूरी तरह से भुगतान के रूप में क्रेडिट होगा। वितरण कंपनी द्वारा छत्तीसगढ़ शासन को शेयरों को जारी और आवंटन करना, इन नियमों का एक अभिन्न अंग होगा और इनका सम्यक् अनुपालन करते हुए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और धारा 62 के अधीन इसे प्रक्रिया के रूप में किया गया माना जाएगा.

(7) ट्रेडिंग कंपनी के वितरण कंपनी में समामेलन के अनुसरण में, ट्रेडिंग कंपनी, परिसमापन के बिना, विलय और विघटित हो जाएगी.

7घ. कंपनियों के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाना– राज्य सरकार द्वारा इन नियमों के राजपत्र में प्रकाशन के उपरांत, कंपनी के रजिस्ट्रार को संसूचित किया जाएगा और इन नियमों के अनुपालन में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार समुचित आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा.''

4. नियम 8ग के खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

''(ख) सीएसईबी भविष्य निधि न्यास के संदर्भ में विद्यमान व्यवस्थाएं, इन नियमों के अनुसरण में पारेषण कंपनी के प्रशासनिक नियंत्रण में उस समय तक जारी रहेंगी, जब तक कि पारेषण कंपनी, उत्पादन कंपनी और वितरण कंपनी के रूप में उनकी स्वयं की न्यास निधि स्थापित नहीं हो जाती। होल्डिंग कंपनी द्वारा जारी सीएसईबी भविष्य निधि न्यास के प्रशासन के संबंध में सभी अधिसूचनाएं/परिपत्र,इन नियमों के अधीन विघटन के बिना, निर्धारित तिथि तक, होल्डिंग कंपनी के परिसमापन को प्रतिदर्शित करने वाले उपयुक्त संशोधन के साथ पारेषण कंपनी, उत्पादन कंपनी और वितरण कंपनी द्वारा अंगीकृत किये जायेंगे.''

5. नियम 8घ के खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

''(ग) सीएसईबी ग्रेच्युटी और पेंशन निधि न्यास के संदर्भ में विद्यमान व्यवस्थाएं, इन नियमों के अनुसरण में पारेषण कंपनी के प्रशासनिक नियंत्रण में उस समय तक जारी रहेंगी, जब तक कि पारेषण कंपनी, उत्पादन कंपनी और वितरण कंपनी के रूप में उनकी स्वयं की न्यास निधि स्थापित नहीं हो जाती। होल्डिंग कंपनी द्वारा जारी की गई सीएसईबी ग्रेच्युटी और पेंशन निधि न्यास के प्रशासन के संबंध में सभी अधिसूचनाएं/परिपत्र,इन नियमों के अधीन विघटन के बिना, निर्धारित तिथि तक, होल्डिंग कंपनी के परिसमापन को प्रतिदर्शित करने वाले उपयुक्त संशोधन के साथ पारेषण कंपनी, उत्पादन कंपनी और वितरण कंपनी द्वारा अंगीकृत किये जायेंगे.''

6. (1) नियम 9 के शीर्षक की विषय वस्तु को खण्ड (क) के रूप में पुनःक्रमांकित किया जाये;

(2) नियम 9 के पुनःक्रमांकित खण्ड (क) के पश्चात खण्ड (ख) जोड़ा जाये, अर्थात्:–

''(ख) अधिनियम के प्रावधानों और इन नियमों के नियम 7ख/नियम 7ग के अनुसरण में प्रवर्तित हस्तांतरण होने पर, सभी व्यक्तियों (निगमित निकाय, वित्तीय संस्थानों, ऋणदाताओं, इत्यादि सहित) के अधिकार और दायित्व; किन्ही विलेखों, दस्तावेजों, लिखतों, अनुबंधों या व्यवस्थाओं में जो व्यक्ति होल्डिंग कंपनी और/या ट्रेडिंग कंपनी, जैसी भी स्थिति हो, के पास/साथ है, में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी,यथास्थिति,(होल्डिंग कंपनी के हस्तांतरण के लिए) पारेषण कंपनी अथवा (ट्रेडिंग कंपनी के हस्तांतरण के लिए)वितरण कंपनी तक सीमित रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का छत्तीसगढ़ शासन के विरुद्ध कोई अधिकार या दायित्व नहीं होगा.''

7. नियम 10 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात : –

''10क. देनदारियों का निर्वहन और मंडल के सभी विवादों/मुद्दों का समाधान :–

(1) निर्धारित तिथि को और उसके बाद से, पारेषण कंपनी, आयकर से संबंधित ऐसे सभी मामलों को निराकृत करेगी, जो किसी भी न्यायालय, अधिकरण या राज्य या केंद्र सरकार के किसी प्राधिकरण में पूर्ववर्ती मंडल के नाम पर लंबित हैं और जो निर्धारित तिथि से पूर्व होल्डिंग कंपनी द्वारा संव्यवहृत थे.

(2) निर्धारित तिथि को और उसके बाद से, पारेषण कंपनी, मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल के पुनर्गठन तथा उत्पादन कंपनी एवं वितरण कंपनी की व्यक्तिगत उपक्रम/परिसंपत्ति से जुड़े या संबंधित लोगों के अलावा पूर्ववर्ती मंडल के पुनर्गठन से संबंधित सभी लंबित कानूनी मुद्दों का प्रबंधन करेगी.

(3) निर्धारित तिथि को और उसके बाद से, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अधीन पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की परिसंपत्तियों, देनदारियों, कर्मचारियों, और कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों के विभाजन से संबंधित विवादों का समाधान करने के लिए पारेषण कंपनी उत्तरदायी होगी.

(4) निर्धारित तिथि को और उसके बाद से, पारेषण कंपनी,पूर्ववर्ती मंडल की सभी देनदारियों का निर्वहन तब तक करेगी, जब तक कि इसे पारेषण, उत्पादन और वितरण कंपनी के बीच आवंटित नहीं किया जाता है तथा वे, उत्पादन कंपनी और वितरण कंपनी से किन्ही देनदारियों को वसूल करने के हकदार होंगे, जो कि नियत तिथि पर कंपनियों के एनएफए और सीडब्ल्यूआईपी के योग के अनुपात में अर्थात उत्पादन कंपनी, पारेषण कंपनी और वितरण कंपनी के बीच क्रमशः 49:15:36 के अनुपात में होगी। कार्मिकों से संबंधित विवाद के समाधान पर देनदारियों का आवंटन,नियत तिथि को कर्मचारी अनुपात में अर्थात उत्पादन कंपनी, पारेषण कंपनी और वितरण कंपनी के बीच क्रमशः 27:11:62 के अनुपात में किया जाएगा.

(5) निर्धारित तिथि को और उसके पश्चात् से, पारेषण कंपनी को पूर्ववर्ती मंडल के सभी प्रतिदाय, वसूली, समझौते, मुआवजे या अन्य भुगतान तब तक प्राप्त होंगे, जब तक कि इसे पारेषण कंपनी, उत्पादन कंपनी और वितरण कंपनी के बीच आवंटित नहीं किया जाता है, जो कि नियत तिथि को कंपनियों के एनएफए और सीडब्ल्यूआईपी के योग के अनुपात में अर्थात उत्पादन कंपनी, पारेषण कंपनी और वितरण कंपनी के बीच क्रमशः 49:15:36 के अनुपात में होगा। कार्मिक से संबंधित विवाद के समाधान होने पर देयताओं का आवंटन,नियत तिथि को कर्मचारी अनुपात में अर्थात उत्पादन कंपनी, पारेषण कंपनी और वितरण कंपनी के बीच क्रमशः 27:11:62 के अनुपात में किया जाएगा. संदेह से बचने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त आवंटन, पारेषण कंपनी द्वारा स्वयं ही किया जाएगा.''

8. नियम 11क खण्ड(ख) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात : –

''(ग) उपरोक्त उप–नियम (क) और (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट समयावधि के होते हुए भी, निर्धारित तिथि पर, इन नियमों के प्रावधान, इन नियमों के अधिसूचना की तारीख से ''अवधि'' अथवा ऐसी किसी भी अवधि,जो कि उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व राज्य शासन द्वारा अधिसूचित हो, के लिए अनंतिम रहेंगे. अवधि की अनंतिम अवधि या ऐसी अवधि, जो कि राज्य शासन द्वारा अधिसूचित हो, के दौरान, राज्य शासन, अधिसूचित आदेश द्वारा, इन नियमों के निर्बंधनों और शर्तों को ऐसी रीति में अधिसूचित, संशोधित, परिवर्तित, उपांतरित, जोड़, लोप या अन्यथा बदलाव कर सकता है, जैसा कि राज्य शासन समुचित समझेः

परंतु यह कि इन नियमों के अधिसूचना की तारीख को और उसके बाद से, इन नियमों के नियम 7ख और 7ग के प्रावधान, अंतिम माने जायेंगे तथा राज्य शासन या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा किसी भी संशोधन, परिवर्तन, उपांतरण, जोड़, लोप या किसी अन्य परिवर्तन के अध्यधीन नहीं होंगे.''

9. (1) नियम 13 के शीर्षक की विषय–वस्तु को खण्ड (क) के रूप में पुनःक्रमांकित किया जाये;

(2) नियम 13 के पुनःक्रमांकित खण्ड (क) के पश्चात्, खण्ड (ख) जोड़ा जाए, अर्थात्:–

''(ख) इन नियमों के अधीन निराकृत परिसंपत्तियों, देनदारियों, निग्रह (रिजर्व), अनुबंधों, कर्मचारियों और ऐसे अन्य विषयों का हस्तांतरण,विधि के प्रवर्तन द्वारा हस्तांतरण के रूप में माना जायेगा तथा वे तद्नुसार इन नियमों के प्रकाशन के द्वारा एवं इन नियमों के अंतर्गत जारी आदेशों के द्वारा, तथा राज्य शासन, पारेषण कंपनी, वितरण कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले किसी भी अग्रतर कार्य, विलेख या बात के बिना, इन नियमों के निर्बंधन और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य शासन की कार्रवाई के अनुसरण में प्रवर्तित तथा प्रभावी होंगे. इन नियमों के अनुसरण में परिसंपत्तियों और देनदारियों के हस्तांतरण पर कोई स्टाम्प शुल्क देय नहीं होगा.''

10. नियम 14 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् : –

''15. **सशक्त समिति का गठन.–**

(1) निर्धारित तिथि पर, इस नियम में वर्णित अनुसार विभिन्न मामलों का निपटारा करने के लिए एक सशक्त समिति का गठन किया गया माना जाएगा.

(2) **सशक्त समिति में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगेः–**

(क) पारेषण कंपनी, वितरण कंपनी और उत्पादन कंपनी का अध्यक्ष (''अध्यक्ष''), सशक्त समिति के प्रमुख (''पीठासीन अधिकारी'') होंगे;

(ख) पारेषण कंपनी के प्रबंध निदेशक/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक;

(ग) वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक;

(घ) उत्पादन कंपनी के प्रबंध निदेशक/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक.

(3) उपरोक्त उप–नियम (2) के अधीन उपबंधित सशक्त समिति के गठन के होते हुए भी, यदि पीठासीन अधिकारी, सशक्त समिति की बैठकों में भाग लेने में असमर्थ हैं, तो पारेषण कंपनी, वितरण कंपनी और उत्पादन कंपनी के प्रबंध निदेशक/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, उक्त बैठक के संचालन के उद्देश्य से, उक्त सदस्यों के बीच आपस में मतदान के माध्यम से, सशक्त समिति के अंतरिम पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करेंगे. ऐसे बैठक में लिया गया कोई भी निर्णय, पीठासीन अधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन होगा.

(4) उपरोक्त उप–नियम (2) के अधीन उपबंधित सशक्त समिति के गठन के होते हुए भी, यदि अध्यक्ष का पद, रिक्त/समाप्त कर दिया जाता है, तो सशक्त समिति में पारेषण कंपनी, वितरण कंपनी और उत्पादन कंपनी के संबंधित प्रबंध निदेशक/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सम्मिलित होंगे. सशक्त समिति के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति, सशक्त समिति के सदस्यों द्वारा मतदान के माध्यम से पारेषण कंपनी, वितरण कंपनी और उत्पादन कंपनी के प्रबंध निदेशक/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के बीच में से किया जाएगा.

(5) सशक्त समिति, निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगीः–

(क) अधिनियम की धारा 133 और धारा 134 के अनुसरण में इन नियमों के नियम 8 और नियम 8क के अनुसार कार्मिको के हस्तांतरण से संबंधित मामलों पर सभी विवादों की निर्धारित अवधि के भीतर सुनवाई करना और राज्य शासन को इस प्रकार के विवाद के समाधान के लिए अनुशंसा करना;

(ख) इन नियमों के अनुसार होल्डिंग कंपनी के पारेषण कंपनी और ट्रेडिंग कंपनी के वितरण कंपनी में विलय के अनुसरण में, कार्मिकों के हस्तांतरण/पुनः आवंटन पर, राज्य शासन को अनुशंसा करना ;

(ग) इन नियमों के अनुसार होल्डिंग कंपनी के पारेषण कंपनी और ट्रेडिंग कंपनी के वितरण कंपनी में विलय के अनुसरण में, कार्मिकों और स्वीकृत पदों के हस्तांतरण/पुनः आवंटन के संबंध में प्रक्रियात्मक प्रोटोकॉल से संबंधित प्रशासनिक आदेश (आदेशों), यदि आवश्यक हो, जारी करना;

(घ) उपरोक्त नियम 7ख के उप–नियम (2) के अनुसार उत्पादन कंपनी, वितरण कंपनी और पारेषण कंपनी द्वारा परिसंपत्ति/संपत्ति के सामान्य उपयोग से उत्पन्न मुद्दों/मतभेदों का समाधान करना और विनिश्चय करना;

(ड.) इन नियमों के संबंध में पारेषण कंपनी के साथ होल्डिंग कंपनी के तथा वितरण कंपनी के साथ ट्रेडिंग कंपनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों के आवंटन से संबंधित मुद्दों/मतभेदों का समाधान करना तथा विनिश्चय करना ;

(च) वितरण कंपनी और उत्पादन कंपनी से पारेषण कंपनी द्वारा व्यय, लागत और देनदारियों की वसूली सहित, किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं, इन नियमों से संबंधित या उत्पन्न होने वाले किन्हीं भी अन्य मुद्दों/मतभेदों का समाधान करना;

(छ) अनुसूची–आठ में वर्णित अनुसार पारेषण कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सामान्य सेवाओं को परिवर्तित करना या बदलना;

(ज) आवश्यकता के अनुसार, यदि कोई हो, स्वीकृत पदों के पुनर्वितरण में परिवर्तन करना या बदलना;

(झ) अनुसूची–आठ में वर्णित अनुसार पारेषण कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सामान्य सेवाओं के संबंध में किसी अन्य मुद्दे का समाधान करना.

(6) सशक्त समिति को, अपने कार्यों को प्रभावी तरीके से करने के लिए और सशक्त समिति के समक्ष मामलों को रखने के लिए, एक उप–समिति गठित करने की शक्ति होगी.

(7) उप–समिति में पारेषण कंपनी, वितरण कंपनी और उत्पादन कंपनी का प्रतिनिधित्व होगा। उप–समिति में वितरण कंपनी, उत्पादन कंपनी और पारेषण कंपनी के मानव संसाधन विभाग के संबंधित प्रमुख सम्मिलित होंगे. पारेषण कंपनी के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख, उप–समिति के संयोजक होंगे.

(8) उप–समिति की अनुशंसा, यदि कोई हो, की समीक्षा की जाएगी और वह सशक्त समिति द्वारा अनुमोदित की जाएगी। किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय, सशक्त समिति द्वारा लिया जाएगा और यह सभी हितधारकों के लिए बाध्यकारी होगा.

(9) पारेषण कंपनी या वितरण कंपनी या उत्पादन कंपनी के किसी भी प्रबंध निदेशक द्वारा, सशक्त समिति की बैठक का अनुरोध किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, बैठक की वैध गणपूर्ति के लिए पारेषण कंपनी, वितरण कंपनी और उत्पादन कंपनी प्रत्येक के प्रबंध निदेशक की उपस्थिति आवश्यक होगी.

16. **पारेषण कंपनी द्वारा निष्पादित किए जाने वाले सामान्य कार्य**–निर्धारित तिथि को और उसके बाद से, वितरण कंपनी और उत्पादन कंपनी के लिए कतिपय सामान्य सेवाओं को करने के लिए पारेषण कंपनी उत्तरदायी होगी, जैसा कि अनुसूची–आठ में वर्णित हैं। अनुसूची–आठ में वर्णित सामान्य सेवाओं को छोड़कर, अन्य सभी सामान्य सेवाएं, जो पूर्व में पारेषण कंपनी, वितरण कंपनी और उत्पादन कंपनी की ओर से होल्डिंग कंपनी द्वारा निष्पादित की गई थीं, ऐसी कंपनियों द्वारा स्वतंत्र रूप से निष्पादित की जायेंगी.

17. **होल्डिंग कंपनी की अधिसूचनाएं/परिपत्र–** होल्डिंग कंपनी द्वारा जारी सभी अधिसूचनाएं/परिपत्र के साथ साथ उत्तरवर्ती कंपनियों की प्रशासनिक व्यवस्था और परिचालन प्रक्रियाओं को,पारेषण कंपनी, उत्पादन कंपनी एवं वितरण कंपनी द्वारा क्रमशः, या तो अपनाया जा सकेगा या संशोधित किया जा सकेगा या प्रतिस्थापित किया जा सकेगा.

18. **होल्डिंग और ट्रेडिंग कंपनी के स्वीकृत पदों का पुनर्वितरण .–** निर्धारित तिथि को, होल्डिंग/ट्रेडिंग कंपनी के स्वीकृत पदों को, क्रमशः पारेषण कंपनी, वितरण कंपनी और उत्पादन कंपनी के बीच आवश्यकता के अनुसार, या तो पुनर्वितरित किया जाएगा या समाप्त कर दिया जाएगा. सशक्त समिति, आवश्यकता के अनुसार स्वीकृत पदों के पुनर्वितरण में परिवर्तन या बदलाव कर सकेगी.

19. **स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के साथ निष्पादित एमओयू और कार्यान्वयन अनुबंध का पर्यवेक्षण –** राज्य शासन, होल्डिंग कंपनी और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के बीच निष्पादित समझौता ज्ञापन या कार्यान्वयन अनुबंध के संबंध में, होल्डिंग कंपनी के किसी भी कर्तव्य/दायित्व का निर्वहन, वितरण कंपनी द्वारा किया जाएगा.''

11. अनुसूची–सात के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्: –

''अनुसूची–आठ

पारेषण कंपनी द्वारा निष्पादित की जाने वाली सामान्य सेवाएं

1. कॉमन कैडर के मानव संसाधन कार्य से संबंधित प्रशासनिक कार्य.

2. गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, राज्योत्सव/स्थापना दिवस इत्यादि जैसे औपचारिक समारोहों की व्यवस्था.

3. गुढ़ियारी/डंगनिया और नई दिल्ली में कार्यालय भवन किराए पर लेना/कार्यालय शेड एवं भवन और विश्राम गृह का आवंटन.

4. टेलीफोन, वाहनों को किराए पर लेने, वाहनों को किराए पर लेने की दरों में संशोधन इत्यादि के लिए नीतिगत मामलों पर निर्णय लेना.

5. अध्यक्ष, विद्युत कंपनीज एवं ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के लिए वाहन किराए पर लेना.

6. डंगनिया मुख्यालय परिसर के लिए निजी सुरक्षा गार्ड और डंगनिया औषधालय के लिए पैरामेडिकल स्टॉफ की नियुक्ति करना.

7. डंगनिया परिसर में कैंटीन का संचालन और संबंधित कार्य.

8. विद्युत कंपनियों की ओर से विभिन्न अस्पतालों और दवा कंपनियों का पैनल बनाना.

9. उत्पादन कंपनी, वितरण कंपनी और पारेषण कंपनी के कर्मचारियों के वेतन संरचना का पुनरीक्षण.

10. उत्पादन कंपनी, वितरण कंपनी और पारेषण कंपनी के लिए टीए/डीए दरों का पुनरीक्षण.

11. अध्यक्ष, विद्युत कंपनीज/ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के कार्यालयों में संस्थापित विभिन्न प्रकार के कार्यालयीन उपकरण उपलब्ध कराना एवं उनका अनुरक्षण करना.

12. संपर्क कार्यालय, नई दिल्ली के लिए कार्यालय भवन किराए पर लेना और उसका अनुरक्षण करना.

13. कोई अन्य कार्य, जो ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं है और जो होल्डिंग कंपनी द्वारा पारेषण कंपनी में विलय से पूर्व किया गया था। तथापि, इसमें ऐसा कोई भी कार्य सम्मिलित नहीं होगा, जो निर्धारित तिथि के पश्चात् उत्पादन कंपनी, वितरण कंपनी और पारेषण कंपनी द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जायेगा.

टीपः– अधिसूचना के हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण के व्याख्यान में यदि भिन्नता परिलक्षित हो तो, अंग्रेजी संस्करण का अर्थ अंतिम मान्य होगा.

No. 1686/F-21/13/2009/13/2.—Whereas, the State Government has decided to merge and dissolve the Chhattisgarh State Power Holding Company Limited and Chhattisgarh State Power Trading Company Limited into Chhattisgarh State Power Transmission Company Limited and Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited respectively;

AndWhereas, to improve the management and operations of the successor entities, it was necessary to reorganise the successor companies;

Now, thereforein exercise of the powers conferred by Section 131 read with Section 133 and 134 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, in consultation with the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh State Electricity Board Transfer Scheme Rules, 2010, which shall come into force with retrospective effect from the date of 1st April, 2022, namely:-

AMENDMENT

In the said rules.-

1. After clause (af) of rule 3, the following shall be added, namely:-

"(ag) "Determined date" means 1st April, 2022;

(ah) "Assets and Liabilities of Holding Company" means all assets and liabilities, reserves including profit and loss account and retained earnings, and entire business of the Holding Company, as going concern, and shall include all contingent liabilities, permits and concessions, licenses, contracts, deposits, investments and intellectual property;

(ai) "Assets and Liabilities of trading Company" means all assets and liabilities, reserves including profit and loss account and retained earnings, and entire business of the Trading Company, as going concern, and shall include all contingent liabilities, permits and concessions, licenses, contracts, deposits, investments and intellectual property;

(aj) "Duration" means a time period of 48 (forty eight) months;

(ak) "NFA" means Net Fixed Assets;

(al) "CWIP" means Capital Work In Progress."

2. After clause (e) of rule 6, the following shall be added, namely:-

"(f) After the Determined date and after giving effect to rule 7B and 7C below, if it is determined that there are any surplus revenues available from sale of power by the Trading Company in the separate bank accounts that were maintained by the Trading Company on behalf of the State Government, then 40% of such surplus revenue shall be retained by the State Government and balance 60% of such surplus revenue shall be remitted by State Government as equity contribution to the Generation Company, Distribution Company and Transmission Company directly in proportion to the existing equity contribution in these companies as on the date of such investment."

3. After rule 7, the following shall be added, namely:-

"7A. Vesting of Equity Investments made by the Holding Company with State Government.-

(1) On the Determined date, the equity investments made by the Holding Company/shares held by the Holding Company in the Generation Company, the Distribution Company, the Transmission Company and the Trading Company shall be vested with the State Government and such vesting shall be deemed to be a transfer/transmission by operation of law. The Companies shall take necessary steps to amend their respective register of members and other records to implement such vesting. Pursuant to such vesting of shares, the State Government shall hold 100% equity in the Generation Company, the Distribution Company, the Transmission Company and the Trading Company.

(2) Pursuant to vesting as prescribed in sub-rule (1) above, the investments by the Holding Company as reflected in the books shall be written off against the share capital of the Holding Company and consequently the share capital of Holding company shall stand reduced to the extent of the investments being written off."

7B. Transfer and amalgamation of the Holding Company with the Transmission Company.-

(1) On completion of the vesting of equity investment with the State Government under rule 7A and in accordance with provisions of Section 2(1B) of the Income Tax Act, 1961,the Holding Company shall stand amalgamated into the Transmission company and the Assets and Liabilities ofHolding Company (as per balance sheet of Holding Company on the Determined date) shall stand amalgamated with and be vested in the Transmission Company as a going concern without the requirement of any further act, instrument, deed, matter or thing to be done or executed by any person or entity, so as to become the assets and liabilities of the Transmission Company by virtue of and in the manner provided in these rules.

(2) Without prejudice to the generality of sub-rule (1) above, the transfer and amalgamation of the Holding Company as provided in sub-rule (1) above shall have the following effect:-

(i) **Business :-** The businesses, rights, titles, interests, powers, claims, licenses, authorities, permits, approvals, permissions, incentives, loans, concessions, grants, liberties and privileges of the Holding Company as on the Determined date shall be transferred and vested in the Transmission Company.

(ii) **Assets :-** The assets, properties whether moveable or immovable (including land parcels, residential and commercial buildings along with fixtures and vehicles), real and personal, goodwill, copyright, intellectual property, cash balances, capital, reserve funds, receivables special reserve fund, investments, stocks, shares, dividends, bonds, debentures, securities and other instruments of whatever nature of the Holding Company, whether or not recorded in the books of the Holding Company as on the Determined date shall be transferred to the Transmission Company:

Provided that as on the Determined date, the immovable properties/ assets of the Holding Company which are either in independent possession or joint possession of the Generation Company and/or the Distribution Company

(along with other Successor Companies) and/or are being used by the Generation Company and/or Distribution Company, as the case may be, for the purpose of conducting their respective business operations or for the purpose of accommodation of their respective employees, shall be continued to be used by Generation Company and/or Distribution Company. If required, as per the decision of Empowered Committee, the Transmission Company shall enter into agreements in the nature of lease or right to use in favour of the Generation Company and/ or the Distribution Company to facilitate their use of the immovable property on the terms and conditions as may be mutually agreed between the Transmission Company and/ or the Generation Company and/ or the Distribution Company.

(iii) **Contracts :-** The Transmission Company shall be responsible for the contracts, powers of attorney, grants of legal representation and agreements to which the Holding Company is a party (and which are subsisting or having effect on the Determined date) in the same manner as the Holding Company was liable immediately before the Determined date and the same shall remain in force and effect against or in favour of the Transmission Company and may be enforced effectively as if the Transmission Company had been a party thereto instead of the Holding Company. No consent or approval shall be required from any other party in this regard.

(iv) **Incentives :-** All incentives, subsidies, exemptions, income tax holidays or benefits, or losses and other benefits or privileges enjoyed, or availed by the Holding Company, as on Determined date, without any further act or deed shall vest with and be available to the Transmission Company on the same terms and conditions, as if the same had been allotted or granted or sanctioned or allowed to the Transmission Company.

(v) **Security or interest created in favour of the Holding Company:-** Any security created in favour of or for the benefit of Holding Company by way of mortgage, hypothecation, pledge, lien or any other mode form or mode of creation of security and all guarantees, letters of comforts, letters of credit or similar instruments in favour of or benefit of Holding Company, if any, shall without any further act, deed or thing, be transferred and vested in the Transmission Company and shall be enforced as if the Transmission Company had been a beneficiary to the or a party thereto instead of the Holding Company. No consent or approval shall be required from any other party in this regard.

(vi) **Liabilities :-** All liabilities, loans raised and used, duties and obligations of the Holding Company, whether or not recorded in the books of the Holding Company, without any further act, instrument or deed or thing, be transferred and vested in the Transmission Company to the extent they are outstanding as on the Determined date, so as to become from that date the debts, liabilities, loans, obligations and duties of the Transmission Company and the Transmission Company shall meet, discharge, satisfy the same and further it shall not be necessary to obtain the consent of any third party or other person who is a party to any contract or arrangement by virtue of which such debts or liabilities have arisen in order to give effect to the provisions of these rules.

(vii) **Encumbrances :-** All encumbrances, if any, existing as on the Determined date, created over the assets of the Holding Company shall, after the Determined date without any further act, instrument or deed, continue to relate and attach such assets on any part thereof to which they are related or attached prior to the Determined date.

(viii) **Legal, taxation and other proceedings :-** All legal and taxation or other proceedings (including before any statutory or quasi statutory authority or tribunal or courts), by or against the Holding Company, under any statute, pending on the Determined date, shall be continued and enforced by or against the Transmission

Company as effectually and in the same manner and to the same extent as if the same had been instituted by or against the Transmission Company, as the case may be. The liabilities or claims arising out of such proceedings and recoveries/ refunds arising out of such disputes shall be allocated amongst the Transmission Company, Generation Company and Distribution Company, in proportion to the NFA plus CWIP of the companies as on the Appointed date, i.e. in the ratio of 49:15:36 among Generation Company, Transmission Company and Distribution Company respectively. Liabilities on resolution of dispute related to Personnel shall be allocated in the employee ratio as on the Appointeddate, i.e. in the ratio of 27:11:62 among Generation Company, Transmission Company and Distribution Company respectively.

(ix) **Taxation matters :-**

(a) All taxes (including, but not limited to disputed tax demands, advance tax, tax deducted at source, minimum alternate tax credits, value added tax, sales tax, service tax, goods and services tax, etc.) paid/payable by or refundable to the Holding Company, including all or any refunds or disputed tax demands, if confirmed, or claims shall be treated as the tax paid/ liability or refunds/claims, as the case may be, of the Transmission Company, and any incentives, advantages, privileges, exemptions, credits, holidays, remissions, reductions, subsidies, grants, special status, other benefits, as would have been available to the Holding Company, shall, be available to the Transmission Company.

(b) Tax losses, unabsorbed depreciation and minimum alternative tax credit under the Income-tax Act, 1961any unutilized credit / advance payment of sales tax/ VAT/ Goods and Service Tax available to Holding Company, if any, shall be transferred to the Transmission Company automatically without the requirement of any specific approval or permission as an integral part of these rules.

(c) Transmission Company shall expressly permitted to revise and file its tax returns and other statutory returns, including income tax return, tax deducted / collected at source returns, Goods and Service Tax returns, etc. as may be applicable and has expressly reserved the right to make such provision in its returns and to claim refunds, advance tax credits, credit of tax under Section 115JB of the Income-tax Act, 1961, credit of dividend distribution tax, credit of tax deducted at source, credit of foreign taxes paid/withheld, etc. if any, as may be required for the purposes of/consequent to implementation of these rules. Such returns shall be revised and filed notwithstanding that the statutory period for such revision and filing may have expired.

(x) The provisions of sub-rule (2) above shall operate, notwithstanding anything to the contrary contained in any instrument, deed or writing or the terms of sanction or issue or any security document, all of which instruments, deeds or writings shall stand modified and/or superseded by the foregoing provisions.

(3) The transfer and amalgamation of the Holding Company into the Transmission Company shall take effect immediately on the Determined date, notwithstanding the determination of the value of such Holding Company's business and/or Assets and Liabilities and the same, in case required, may be determined at a later date.

(4) **Accounting Treatment And Compliances.-**

(i) Assets and Liabilities of the Holding Company shall be recorded in the books of accounts of the Transmission Company at their respective carrying amounts appearing in the books of accounts of the Holding Company as on the Determined date and in accordance with the applicable accounting standards and in the same form except to ensure uniformity of accounting policies.

(ii) The identity of the reserves, including balance of Profit and Loss Account and retained earnings, of the Holding Company shall be preserved and they shall appear in the financial statements of the Transmission Company in the same form and manner in which they appeared in the financial statements of the Holding Company prior to this rule becoming effective.

(iii) The difference between the value of the assets, liabilities and reserves of the Transferor Companies recorded in the books of account of the Transferee Company pursuant in sub-rule (1) and sub-rule (2) above, as reduced by the aggregate face value of the new equity shares issued and allotted by the Transmission Company in terms of sub-rule (6) of these rules, shall be transferred to "Capital Reserve Account" in the books of Transmission Company.

(iv) Intercompany deposits, loans and other balances and investments among the Holding Company and the Transmission Company, if any, shall be cancelled and there shall be no further obligation/outstanding in this respect.

(v) The consolidated opening balance sheet of the Transmission Company shall be finalized and notified by the State Government within the duration determined.

(5) **Consolidation of Capital.-**

(i) The authorized capital of the Holding Company shall be deemed to be added to the authorized capital of the Transmission Company without any requirement of a further act or deed on part of the Transmission Company such that the authorized capital of the Transmission Company shall be INR 1,23,00,00,00,000/- comprising of 12,30,00,00,000 equity shares of INR 10 each without any further act, deed, resolution or writing.

(ii) Pursuant to the consolidation and increase in authorized capital, the memorandum of association and the articles of association of the Transmission Company, shall, without any requirement of a further act, instrument or deed, be stand altered, modified or amended, such that clause (V) of the memorandum of association is replaced by the following:

"The authorized capital of the company is INR 1,23,00,00,00,000 comprising of 12,30,00,00,000 equity shares of INR 10 each."

(6) Issue of New Shares to the Government of Chhattisgarh.-Subsequent to consolidation and increase in authorized capital under sub-rule (5) above, and in consideration of the transfer and amalgamation of the Holding Company into the Transmission Company, the Government of Chhattisgarh will be allotted 3,48,32,761equity shares of INR 10 each in the Transmission Company, credited as fully paid up (considering the intercompany investment, receivables and payables shall be netted off). The issue and allotment of shares by the Transmission Company to the Government of Chhattisgarh shall be an integral part of these rules and shall be deemed to be carried out as if the procedure under Section 42 and Section 62 of the Companies Act, 2013 have been duly complied with.

(7) Pursuant to the transfer and amalgamation of the Holding Company into the Transmission Company, the Holding Company shall stand merged and dissolved without winding up.

7C. Transfer and amalgamation of Trading Company with the Distribution Company.-

(1) On completion of the vesting of equity instruments with the State Government under rule 7A, with effect from the Determined date and in accordance with provisions of Section 2(1B) of the Income Tax Act, 1961,the Trading Company shall stand amalgamated into the Distribution Company and the Trading Company Assets and Liabilities (as per opening balance sheet of Trading Company on the Determined Date) shall stand amalgamated with and be vested in the Distribution Company as a going concern without the requirement of any further act, instrument, deed, matter or thing to be done or executed by any person or entity, so as to become the assets and liabilities of the Distribution Company by virtue of and in the manner provided in these rules.

(2) Without prejudice to the generality of sub-rule (1) above, the transfer and amalgamation of the Trading Company as provided in sub-rule (1) above shall have the following effect:-

(i) **Business:-** The businesses, rights, titles, interests, powers, claims, licenses, authorities, permits, approvals, permissions, incentives, loans, concessions, grants, liberties and privileges of the Trading Company, as were effective as on the Determined date, shall be transferred and vested in the Distribution Company.

(ii) **Assets:-** The assets, properties whether moveable or immovable (including land parcels, residential and commercial buildings along with fixtures and vehicles), real and personal, goodwill, copyright, intellectual property, cash balances, capital, reserve funds, receivables special reserve fund, investments, stocks, shares, dividends, bonds, debentures, securities and other instruments of whatever nature of the Trading Company, whether or not recorded in the books of the Trading Company, as on the Determined date, shall be transferred to the Distribution Company.

(iii) **Contracts:-** The Distribution Company shall be responsible for the contracts, powers of attorney, grants of legal representation and agreements to which the Trading Company is a party (including agreements which are entered by the Trading Company as a representative of the State Government) (and which are subsisting or having effect on the Determined date) in the same manner as the Trading Company was liable immediately as on the Determined date and the same shall remain in force and effect against or in favour of the Distribution Company and may be enforced effectively as if the Distribution Company had been a party thereto instead of the Trading Company. No consent or approval shall be required from any other party in this regard.

(iv) **Incentives:-** All incentives, subsidies, exemptions, income tax holidays or benefits, or losses and other benefits or privileges enjoyed, or availed by the Trading Company, as on the Determined date, without any further act or deed shall vest with and be available to the Distribution Company on the same terms and conditions, as if the same had been allotted or granted or sanctioned or allowed to the Distribution Company.

(v) **Security or interest created in favour of the Trading Company:-** Any security created in favour of or for the benefit of Trading Company by way of mortgage, hypothecation, pledge, lien or any other mode form or mode of creation of security and all guarantees, letters of comforts, letters of credit or similar instruments in favour of or benefit of Trading Company, if any, shall without any further act, deed or thing, be transferred and vested in the Distribution Company and shall be enforced as if the Distribution Company had been a beneficiary to the or a party thereto instead of the Trading Company. No consent or approval shall be required from any other party in this regard.

(vi) **Liabilities :-** All liabilities, loans raised and used, duties and obligations of the Trading Company, whether or not recorded in the books of the Trading Company, without any further act, instrument or deed or thing, be transferred and vested in the Distribution Company to the extent they are outstanding as on the Determined date, so as to become from that date the debts, liabilities, loans, obligations and duties of the Distribution Company and the Distribution Company shall meet, discharge, satisfy the same and further it shall not be necessary to obtain the consent of any third party or other person who is a party to any contract or arrangement by virtue of which such debts or liabilities have arisen in order to give effect to the provisions of these rules.

(vii) **Encumbrances:-** All encumbrances, if any, existing if any, prior to the Determined date, created over the assets of the Trading Company, shall after the Determined date, without any further act, instrument or deed, continue to relate and attach such assets or any part thereof to which they are related or attached prior to the Determined date.

(viii) **Legal, taxation and other proceedings :-** All legal and taxation or other proceedings (including before any statutory or quasi statutory authority or tribunal or courts), by or against the Trading Company, under any statute, pending on the Determined date, shall be continued and enforced by or against the Distribution Company as effectually and in the same manner and to the same extent as if the same had been instituted by or against, the Distribution Company, as the case may be.

(ix) **Taxation matters:-**

(a) All taxes (including, but not limited to disputed tax demands, advance tax, tax deducted at source, minimum alternate tax credits, value added tax, sales tax, service tax, goods and services tax, etc.) paid/payable by or refundable to the Trading Company, including all or any refunds or disputed tax demands, if confirmed, or claims shall be treated as the tax paid/ liability or refunds/claims, as the case may be, of the Distribution Company, and any incentives, advantages, privileges, exemptions, credits, holidays, remissions, reductions, subsidies, grants, special status, other benefits, as would have been available to the Trading Company, shall, be available to the Distribution Company.

(b) Tax losses, unabsorbed depreciation and minimum alternative tax credit under the Income Tax Act, 1961 any unutilized credit / advance payment of sales tax/ VAT / Goods and Service Tax available to Trading Company, if any, shall be transferred to the Distribution Company automatically without the requirement of any specific approval or permission as an integral part of these rules.

(c) Distribution Company is expressly permitted to revise and file its tax returns and other statutory returns, including income tax return, tax deducted / collected at source returns, Goods and Service Tax returns, etc. as may be applicable and has expressly reserved the right to make such provision in its returns and to claim refunds, advance tax credits, credit of tax under Section 115JB of the Income-tax Act, 1961, credit of dividend distribution tax, credit of tax deducted at source, credit of foreign taxes paid/withheld, etc., if any, as may be required for the purposes of/ consequent to implementation of these rules. Such returns may be revised and filed notwithstanding that the statutory period for such revision and filing may have expired.

(x) The provisions of sub-rule (2)above shall operate, notwithstanding anything to the contrary contained in any instrument, deed or writing or the terms of sanction or issue or any security document, all of which instruments, deeds or writings shall stand modified and/or superseded by the foregoing provisions.

(3) The transfer and amalgamation of the Trading Company into the Distribution Company shall take effect immediately on the Determined date, notwithstanding the determination of value of Trading Company's business and/ or Assets and Liabilities and the same, in case required, shall be determined at a later date.

(4) **Accounting treatment and compliances-**

(i) The Trading Company Assets and Liabilities shall be recorded in the books of accounts of the Distribution Company at their respective carrying amounts appearing in the books of accounts of the Trading Company as on the Determined date and in accordance with the applicable accounting standards and in the same form except to ensure uniformity of accounting policies.

(ii) The identity of the reserves, including balance of Profit and Loss Account and retained earnings, of the Trading Company shall be preserved and they shall appear in the financial statements of the Distribution Company in the same form and manner in which they appeared in the financial statements of the Trading Company prior to this rule becoming effective.

(iii) The difference between the value of the assets, liabilities and reserves of the Transferor Companies recorded in the books of account of the Transferee Company pursuant to sub-rule (1) and sub-rule (2) above, as reduced by the aggregate face value of the new equity shares issued and allotted by the Distribution Company in terms of sub-rule (6) of these rules, shall be transferred to "Capital Reserve Account" in the books of Distribution Company.

(iv) Intercompany deposits, loans and other balances and investments among the Trading Company and the Distribution Company, if any, shall be cancelled and there shall be no further obligation/ outstanding in this respect.

(v) As per the functions of Trading Company as enumerated in clause (g)(ii) (b) of Part-II of Schedule-IV of these rules, the Trading Company was obligated to maintain separate accounts for the money realized, against sale of power by the Trading Company. Subsequent to the Determined date, the Distribution Company shall not be obligated to maintain the such separate bank account for any activity of power trading carried by the Distribution Company as a representative of the State Government. Accordingly, Distribution Company shall be required to maintain internal memorandum accounts for the aforesaid transactions.

(vi) The consolidated opening balance sheet of the Distribution Company shall be finalized and notified by the State Government within the duration determined.

(5) **Consolidation of Capital-**

(i) The authorized capital of the Trading Company shall be deemed to be added to the authorized capital of the Distribution Company without any requirement of a further act or deed on part of the Distribution Company such that the authorized capital of the Distribution Company shall be INR 33,00,25,00,000 comprising of 3,30,02,50,000 equity shares of INR 10 each without any further act, deed, resolution or writing.

(ii) Pursuant to the consolidation and increase in authorized capital, the memorandum of association and the articles of association of the Distribution Company, shall, without any requirement of a further act, instrument or deed, be stand altered, modified or amended, such that clause (V) of the memorandum of association is replaced by the following:-

"The authorized capital of the company is INR 33,00,25,00,000 comprising of 3,30,02,50,000 equity shares of INR 10 each."

(6) Issue of New Shares to the Government of Chhattisgarh- Subsequent to consolidation and increase in authorized capital under sub-rule (5) above, and in consideration of the transfer and amalgamation of the Trading Company with the Distribution Company, the Government of Chhattisgarh shall be allotted 50,000 equity shares of INR 10 each in the Distribution Company, credited as fully paid up. The issue and allotment of shares by the Distribution Company to the Government of Chhattisgarh shall be an integral part of these rulesand shall be deemed to be carried out as if the procedure under Section 42 and Section 62 of the Companies Act, 2013 have been duly complied with.

(7) Pursuant to the amalgamation of the Trading Company with the Distribution Company, the Trading Company shall stand merged and dissolved without winding up.

7D. Filing with the Registrar of the Companies— Subsequent to publication of these rules in the Official Gazette by the State Government, Registrar of Company shall be intimated and appropriate application shall be filed as per provisions of Companies Act, 2013 in compliance of these rules."

4. After clause (a) of rule 8C, the following shall be added, namely:-

"(b) The existing arrangements in terms of the CSEB Provident Fund Trust shall continue under the administrative control of Transmission Company pursuant in these rules till such time as the Transmission Company, the Generation Company and the Distribution Company set up their own trust funds. Till such time, all notifications/circulars with respect to the administration of the CSEB Provident Fund Trust issued by the Holding Company till the Determined date shall be adopted by the Transmission Company, the Generation Company and the Distribution Company with suitable revisions to reflect the winding up of the Holding Company without dissolution under the these rules."

5. After clause (b) of rule 8D, the following shall be added, namely:-

"(c) The existing arrangements in terms of the CSEB Gratuity and Pension Fund Trust shall continue under the administrative control of Transmission Company pursuant in these rules till such time as the Transmission Company, the Generation Company and the Distribution Company set up their own trust funds. Till such time, all notifications/circulars with respect to the administration of the CSEB Gratuity and Pension Fund Trust issued by the Holding Company till the Determined date shall be adopted by the Transmission Company, the Generation Company and the Distribution Company with suitable revisions to reflect the winding up of the Holding Company without dissolution under these rules."

6. (1) The contents of the heading of rule 9 shall be re- numbered as clause (a),

(2) After re-numbered clause (a) of rule 9,clause(b) shall be added, namely:-

"(b) Upon the transfer being effected in accordance with the provisions of the Act and Rule 7B/Rule 7C of these rules,the rights and obligations of all persons (including body corporate, financial institutions, lenders, etc.) shall be restricted to the Transmission Company (for transfer of Holding Company) or Distribution Company (for transfer of Trading Company) as the case may be, notwithstanding anything to the contrary contained in any deed, documents, instruments, agreements or arrangements which such person has with the Holding Company and/or Trading Company, as the case may be. Such person shall not have any right or obligation against the Government of Chhattisgarh."

7. After rule 10, the following shall be added, namely:-

"10A. Discharging liabilities and resolution of all disputes/issues of the Board.-

(1) On and from the Determined date, the Transmission Company shall deal with all cases pertaining to income tax, pending in any court of law, tribunal or any authority of State or Central Government, in the name of the erstwhile Board which were dealt by the Holding Company prior to the Determined date;

(2) On and from the Determined date, the Transmission Company shall handle all pending legal issues pertaining to the reorganization of Madhya Pradesh State Electricity Board and reorganization of the erstwhile Board other than those associated with or related to the individual undertaking/assets of Generation Company and Distribution Company;

(3) On and from the Determined date, the Transmission Company shall be responsible for resolving the disputes pertaining to division of assets, liabilities, employees and employee related issues of the erstwhile Madhya Pradesh Electricity Board under the provisions of the Madhya Pradesh Re-organization Act, 2000;

(4) On and from the Determined date, the Transmission Company shall discharge all liabilities of the erstwhile Board till the same is allocated among the Transmission, Generation and Distribution Company and shall be entitled to recover any liability from the Generation Company and Distribution Company in proportion to the NFA plus CWIP of the companies as on the Appointed date, i.e. in the ratio of 49:15:36 amongst Generation Company, Transmission Company and Distribution Company respectively. Liabilities on resolution of dispute related to Personnel shall be allocated in the employee ratio as on the Appointed date,i.e. in the ratio of 27:11:62 among Generation Company, Transmission Company and Distribution Company respectively.

(5) On and from the Determined date, the Transmission Company shall receive all refunds, recoveries, settlements, compensation or other payments of the erstwhile Board till the same are allocated among the Transmission Company, the Generation Company and the Distribution Company in proportion to the NFA plus CWIP of the companies as on the Appointed date, i.e.in the ratio of 49:15:36 amongst Generation Company, Transmission Company and Distribution Company respectively. Liabilities on resolution of dispute related to Personnel shall be allocated in the employee ratio as on the Appointed date, i.e.in the ratio of 27:11:62 among Generation Company, Transmission Company and Distribution Company respectively. For the avoidance of doubt, it is clarified that the aforesaid allocation shall be done by the Transmission Company itself."

8. After clause (b) of rule11A, the following shall be added, namely:-

"(c) Notwithstanding the time period specified under sub-rule (a) and (b) above, on the Determined date, the provisions of these rules shall remain provisional for the duration from the date of notification of these rules or any such period notified by the State Government before the expiry of the said period of duration. During the provisional period of duration or such period as notified by the State Government, the State Government may, by order to be notified, amend, alter, modify, add, delete or otherwise change the terms and conditions of these rules, in such manner as the State Government may consider appropriate:

Provided that on and from the date of notification of these rules, the provisions of rule 7B and 7C of these rules shall deemed to be final and shall not be subject to any amendment, alteration, modification, addition, deletion or any other change by the State Government or any other authority."

9. (1) The contents of the heading of rule 13 shall be re-numbered as clause(a),

(2) After re-numbered clause (a) of rule 13, clause(b) shall be added, namely:-

"(b) The transfer of assets, liabilities, reserves, contracts, employees and such other matters dealt with under these rules shall be construed as a transfer by operation of law and shall accordingly be operated and be effective pursuant to action of the State Government by publishing these rules and orders issued in terms of theserules and without any further act, deed or thing to be done by the State Government, the Transmission Company, Distribution Company or any other person, subject to the terms and conditions of these rules. No stamp duty shall be payable on the transfer of assets and liabilities pursuant of these rules."

10. After rule 14, the following shall be added, namely:-

"15. Constitution of an Empowered Committee.-

(1) On the Determined date, an Empowered Committee shall be deemed to be constituted to deal with various matters as stated in this rule.

(2) The Empowered Committee shall consist of the following members:

(a) The Chairman of Transmission Company, Distribution Company and Generation Company ("Chairman") shall be the head of the Empowered Committee ("Presiding Officer");

(b) The Managing Director/Chairman-cum-Managing Director of the Transmission Company;

(c) The Managing Director/Chairman-cum-Managing Director of Distribution Company;

(d) The Managing Director/Chairman-cum-Managing Director of the Generation Company;

(3) Notwithstanding the constitution of the Empowered Committee provided under sub-rule (2) above, if the Presiding Officer is unable to attend the meetings of Empowered Committee, the Managing Director/Chairman-cum-Managing Director of the Transmission Company, Distribution Company and Generation Company shall appoint the interim presiding officer of the Empowered Committee among the said members through voting amongst themselves for the purpose of conducting the said meeting. Any decision undertaken in such meeting shall be subject to approval of the Presiding Officer.

(4) Notwithstanding the constitution of the Empowered Committee provided under sub-rule (2) above, if the position of Chairman is vacant/ abolished, Empowered Committee shall comprise of the respective Managing Director/Chairman-cum-Managing Director of the Transmission Company, Distribution Company and Generation Company. The Presiding Officer of the Empowered Committee shall be appointed among the Managing Director/ Chairman-cum-Managing Director of the Transmission Company, Distribution Company and Generation Company through voting by the members of the Empowered Committee.

(5) The Empowered Committee shall perform the following functions:

(a) To hear all dispute on matters pertaining to transfer of personnel as per rule 8 and rule 8A of these rules in accordance with Section 133 and Section 134 of the Act within the duration determined and provide recommendations to the State Government for resolution of such disputes;

(b) To provide recommendation to the State Government on the transfer/ reallocation of personnel pursuant to the merger of the Holding Company with the Transmission Company and the Trading Company with the Distribution Company pursuant to these rules.

(c) To issue administrative order(s) pertaining to procedural protocols in respect of transfer/ reallocation of personnel and sanctioned posts pursuant to the merger of the Holding Company with the Transmission Company and the Trading Company with the Distribution Company pursuant to these rules, if required.

(d) To resolve and decide issues/ differences arising out of common use of the assets/ property by the Generation Company, Distribution Company and Transmission Company as per sub-rule (2) of rule 7B above.

(e) To resolve and decide issues/differences relating to allocation of assets and liabilities of the Holding Company with the Transmission Company and the Trading Company with the Distribution Company in respect of these rules;

(f) To resolve any other issues/ differences relating to or arising out of these rules including but not limited to recovery of expenses, costs and liabilities by the Transmission Company from the Distribution Company and the Generation Company.

(g) To alter or vary the common services provided by the Transmission Company as detailed in Schedule-VIII.

(h) To alter or vary the redistribution of sanctioned posts as per requirement, if any.

(i) To resolve any other issue with respect to the common services provided by the Transmission Company as detailed in Schedule-VIII.

(6) The Empowered Committee shall have the power to constitute a sub-committee for carrying out its functions in an effective manner and to put up matters before the Empowered Committee.

(7) The sub-committee will have representation from the Transmission Company, the Distribution Company and the Generation Company. The sub-committee shall consist of respective head of Human Resource Department of Distribution Company, Generation Company and Transmission Company. The head of Human Resource Department of Transmission Company shall be the convener of the sub-committee.

(8) The recommendations, if any, of the sub-committee shall be reviewed and approved by the Empowered Committee. The final decision on any issue shall be taken by the Empowered Committee and the same shall be binding on all stakeholders.

(9) A meeting of the Empowered Committee can be requested for by any of the Managing Directors of the Transmission Company or the Distribution Company or the Generation Company. Further, the presence of the Managing Director of each of the Transmission Company, the Distribution Company and the Generation Company will be required to constitute valid quorum of the meeting.

16. Common Functions to be performed by Transmission Company.— On and from the Determined date, the Transmission Company shall be responsible for performing certain common services for the Distribution Company and Generation Company which have been set out in Schedule-VIII. Save and except the common services detailed in Schedule-VIII, all other common services which were previously performed by Holding Company on behalf of Transmission Company, Distribution Company and Generation Company shall be independently performed by such companies.

17. Notifications/ Circulars of the Holding Company.—All notifications/ circulars issued by Holding Company vis-à-vis administrative arrangements and operational procedures of the Successor Companies may be either adopted or modified or replaced by the Transmission Company, the Generation Company and the Distribution Company respectively.

18. Redistribution of the Sanctioned Posts of the Holding and Trading Company.—As on the Determined date, the sanctioned posts of the Holding/Trading Company shall be either redistributed among the Transmission Company, the Distribution Company and the Generation Company respectively or abolished as per the requirement. The Empowered Committee may alter or vary the redistribution of sanctioned posts as per requirement.

19. Supervision of the MOUs and Implementation Agreement executed with the Independent Power Producers.—Any duty/obligation of the Holding Company in respect of the Memorandum of Understandings or the Implementation Agreements executed amongst the State Government, the Holding Company and the Independent Power Producers shall be undertaken by the Distribution Company."

11. After Schedule-VII, the following shall be added, namely:-

"SCHEDULE-VIII

Common Services to be performed by the Transmission Company

1. Administrative works relating to human resource function of common cadre.

2. Arrangements for ceremonial functions like Republic Day, Independence Day, Rajyotsava/ Sthapana Diwas, etc.

3. Hiring of office building/ allotment of office sheds/ building and rest house at Gudhiyari/ Dangania and New Delhi.

4. Deciding policy matters for telephone, hiring of vehicles, revision of rates of hiring of vehicles, etc.

5. Hiring of vehicles for Chairman andEnergy Department, Government of Chhattisgarh.

6. Engagement of private security guards for Dangania headquarters premises and paramedical staff for Dangania dispensary.

7. Running of canteen in Dangania premises and associated work.

8. Empanelment of various hospitals and pharmaceutical companies on behalf of power companies.

9. Revision of wage structure of employees of Generation Company, Distribution Company and Transmission Company

10. Revision in TA/DA rates for Generation Company, Distribution Company and Transmission Company.

11. Providing & maintenance of various types of office equipments installed in the offices of Chairman/Energy Department, Government of Chhattisgarh.

12. Hiring of office building for Liaison office, New Delhi and maintenance thereof.

13. Any other work not specified above and was carried out by Holding Company prior to its merger with Transmission Company. However, it shall not include any such work which will be independently carried out by Generation Company, Distribution Company and Transmission Company after the Determined date."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कोशले, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 19 मई 2022

भू-अर्जन प्र. क्रमांक 557/202107042900078/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	तुरेकेला प.ह.नं. 18	0.407	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	तुरेकेला-तिऊर मार्ग के सपनाई नाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया, जिला रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 मई 2022

भू-अर्जन प्र. क्रमांक 558/202112042900042/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	नवापारा (प.) प.ह.नं. 18	0.146	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	नवापारा-भाटपारा मार्ग के माकाखड़िया नाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया, जिला रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 मई 2022

भू-अर्जन प्र. क्रमांक 559/202107042900077/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	तिऊर प.ह.नं. 14	0.332	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	तुरेकेला-तिऊर मार्ग के सपनाई नाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया, जिला रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 मई 2022

भू-अर्जन प्र. क्रमांक 560/202107042900079/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	तेन्दुमुड़ी प.ह.नं. 29	0.235	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उप संभाग क्र. 2 रायगढ़.	तेन्दुमुड़ी से बेहरामुड़ा मार्ग पर कुरकुट नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया, जिला रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 12 मई 2022

क्रमांक/223/वा./भू.अ./प्र.क्र./202007141400009/अ-82/19-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-नरहरपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बागोड़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.41 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	501/1	0.24
	503/1	0.04
	503/2	0.04
	503/3	0.03
	503/4	0.02
	503/5	0.04
योग	06	0.41

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बागोड़ महानदी में एनीकेट/केनाल निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 12 मई 2022

क्रमांक/224/वा./भू.अ./प्र.क्र./18/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-कांकेर
- (ग) नगर/ग्राम-मनकेसरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.40 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	103	0.08
	104/4	0.04
	104/3	0.11
	104/6	0.07
	104/5	0.10
योग	05	0.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम मनकेसरी में उलटवियर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चंदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) राजनांदगांव

राजनांदगांव, दिनांक 31 मार्च 2021

क्रमांक/84/स.अ.भू.अ./2021.—छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर की अधिसूचना क्रमांक 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के अध्याय-7 की धारा 68, 69, 70, 72, 73 एवं सह पठित धारा 90 के प्रावधान अनुसार मैं टोपेश्वर वर्मा, कलेक्टर जिला राजनांदगांव एतद्द्वारा तहसील राजनांदगांव, राजस्व निरीक्षक मंडल उपरवाह के पटवारी हल्का नंबर 13 के ग्राम उपरवाह, के आंतरिक क्षेत्रफल को अपवर्जित कर नवीन राजस्व ग्राम करेलापारा घोषित करता हूं.

(1) नवीन राजस्व ग्राम करेलापारा का क्षेत्रफल निम्नानुसार है :—

क्रमांक (1)	भूमि मदवार (2)	ग्राम करेलापारा (3)
1	ग्राम का रकबा	395.950
2	ग्राम का मकबूजा रकबा	328.347
3	ग्राम का गैर मकबूजा रकबा	67.603
4	आबादी भूमि का रकबा	4.365
5	ग्राम की जनसंख्या	959
6	मवेशी संख्या	337

(2) अपवर्जित राजस्व ग्राम उपरवाह का क्षेत्रफल निम्नानुसार है :—

क्रमांक (1)	भूमि मदवार (2)	ग्राम उपरवाह (3)
1	ग्राम का रकबा	715.337
2	ग्राम का मकबूजा रकबा	493.761
3	ग्राम का गैर मकबूजा रकबा	221.576
4	आबादी भूमि का रकबा	7.540
5	ग्राम की जनसंख्या	1763
6	मवेशी संख्या	1097

टोपेश्वर वर्मा,
कलेक्टर.

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 मई 2022

क्रमांक 21/चार/निरर्हित/2018-22/1749.—विधानसभा निर्वाचन-2018 के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने में असफल रहे श्री प्रताप सिंह, श्री डॉ. फ्लोरेंस नाइटिंगल सागर एवं दीपक कुमार जिला-कोरिया को तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित किये जाने संबंधी भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के आदेश संख्या छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/02/2018, दिनांक 27 अप्रैल, 2022 सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

(भुवनेश यादव)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 27 अप्रैल, 2022—07 वैशाख, 1944 (शक)

सं. छ.ग./वि.स./पूर्व अनु.-1/02/2018.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी.

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1902 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 02-मनेन्द्रगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरिया, बैकुण्ठपुर छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री प्रताप सिंह जो छत्तीसगढ़ के 02-मनेन्द्रगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले भारतीय पंचायत पार्टी के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं.

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरिया, बैकुण्ठपुर छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री प्रताप सिंह को कारण बताओ नोटिस दिनांक 28 अगस्त, 2019 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 28 अगस्त, 2019 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री प्रताप सिंह को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री प्रताप सिंह के भतीजे द्वारा प्राप्त किया था. पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरिया, बैकुण्ठपुर द्वारा अपने दिनांक 14 अक्टूबर, 2019 के पत्र सं. 1044/सामान्य निर्वाचन/नोटिस/2019 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरिया, बैकुण्ठपुर द्वारा अपने दिनांक 24 फरवरी, 2022 के पत्र सं. 265/सा.निर्वा./नोटिस/EEM/2022 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री प्रताप सिंह ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यत:, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री प्रताप सिंह निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1902 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति —

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन साल की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अत:, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1902 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 02–मनेन्द्रगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले भारतीय पंचायत पार्टी के अभ्यर्थी श्री प्रताप सिंह, निवासी–ग्राम+पो.–खड़गवां, तह. खड़गवां, जिला–कोरिया, छत्तीसगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य–क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है.

आदेश से,

हस्ता./–
(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 27th April, 2022—07 Vaisakha, 1944 (Saka)

No. CG-LA/ES-I/02/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1902, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 02-Manendragarh Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Korea, Baikunthpur, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85, dated 29th January, 2019, Sh. Pratap Singh, a contesting candidate of Bhartiya Panchayat Party from 02-Manendragarh Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Korea Baikunthpur, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a show Cause Notice, dated 28th August, 2019 was issued by Election Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Sh. Pratap Singh for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 28th August, 2019, Sh. Pratap Singh, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Sh. Pratap Singh, on 09th October, 2019 Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Korea, Baikunthpur vide his letter No. 1044/सामान्य निर्वाचन/नोटिस/2019 dated 14th October, 2019.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Korea, Baikunthpur vide his letter No. 265/सा. निर्वा./नोटिस/EEM/2022 dated 24th February, 2022, has stated that Sh. Paratap Singh has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Sh. Paratap Singh, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the people Act, 1902 Stipulates that :—

"If the Election Commission is satisfied that a person:

(i) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and

(ii) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1902, the Election Commission of India hereby declares Sh. Paratap Singh, Vill+Post-Khadgawa, Tehsil-Khadgawa, Dist.-Korea, Chhattisgarh and a contesting candidate of Bhartiya Panchayat Party for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 02-Manendragarh Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-
(NARENDRA N. BUTOLIA)
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

नई दिल्ली, दिनांक 27 अप्रैल, 2022—07 वैशाख, 1944 (शक)

सं. छ.ग./वि.स./पूर्व अनु.-1/02/2018.—यत: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी.

और यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1902 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यत:, 02-मनेन्द्रगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरिया, बैकुण्ठपुर छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री डॉ. फ्लोरेंस नाइटिंगल सागर जो छत्तीसगढ़ के 02-मनेन्द्रगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले जनता दल (यूनाईटेड) के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं.

और यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरिया, बैकुण्ठपुर छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री डॉ. फ्लोरेंस नाइटिंगल सागर को कारण बताओ नोटिस दिनांक 28 अगस्त, 2019 को जारी किया गया था;

और यत:, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 28 अगस्त, 2019 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री डॉ. फ्लोरेंस नाइटिंगल सागर को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यत:, उक्त नोटिस श्री डॉ. फ्लोरेंस नाइटिंगल सागर द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर, 2019 को प्राप्त किया था. पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरिया, बैकुण्ठपुर द्वारा अपने दिनांक 14 अक्टूबर, 2019 के पत्र सं. 1044/सामान्य निर्वाचन/नोटिस/2019 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरिया, बैकुण्ठपुर द्वारा अपने दिनांक 24 फरवरी, 2022 के पत्र सं. 265/सा.निर्वा./नोटिस/EEM/2022 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री डॉ. फ्लोरेंस नाइटिंगल सागर ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यत:, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री डॉ. फ्लोरेंस नाइटिंगल सागर निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1902 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति —

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन साल की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अत:, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1902 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 02-मनेन्द्रगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले जनता दल (यूनाईटेड) के अभ्यर्थी श्री डॉ. फ्लोरेंस नाइटिंगल सागर, निवासी भैंसा दफाई, वार्ड नंबर 17, हल्दीबाड़ी, चिरमिरी, जिला-कोरिया छत्तीसगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है.

आदेश से,

हस्ता./-
(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

New Delhi, dated 27th April, 2022—07 Vaisakha, 1944 (Saka)

No. CG-LA/ES-I/02/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1902, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 02-Manendragarh Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Korea, Baikunthpur, District Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85, dated 29th January, 2019, Sh. Dr. Florence Nightingle Sagar, a contesting candidate of Janata Dal (United) from 02-Manendragarh Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Korea Baikunthpur, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a show Cause Notice, dated 28th August, 2019 was issued by Election Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Sh. Dr. Florence Nightingle Sagar for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 28th August, 2019, Sh. Dr. Florence Nightingle Sagar, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Sh. Dr. Florence Nightingle Sagar, on 10th October, 2019 Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Korea, Baikunthpur vide his letter No. 1044/सामान्य निर्वाचन/नोटिस/2019 dated 14th October, 2019.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Korea, Baikunthpur vide his letter No. 265/सा. निर्वा./नोटिस/EEM/2022 dated 24th February, 2022, has stated that Sh. Dr. Florence Nightingle Sagar, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Sh. Dr. Florence Nightingle Sagar, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the people Act, 1902 Stipulates that :—

"If the Election Commission is satisfied that a person:

(i) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and

(ii) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1902, the Election Commission of India hereby declares Sh. Dr. Florence Nightingle Sagar, Bhainsa Dafai, Ward No. 17, Haldibadi, Chirmiri, Dist.-Korea, Chhattisgarh and a contesting candidate of Janata Dal (United) for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 02-Manendragarh Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order."

By order,

Sd/-
(NARENDRA N. BUTOLIA)
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

नई दिल्ली, दिनांक 27 अप्रैल, 2022—07 वैशाख, 1944 (शक)

सं. छ.ग./वि.स./पूर्व अनु.-1/02/2018.—यत: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी.

और यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1902 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यत:, 02-मनेन्द्रगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरिया, बैकुण्ठपुर छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री दीपक कुमार जो छत्तीसगढ़ के 02-मनेन्द्रगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं.

और यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरिया, बैकुण्ठपुर छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री दीपक कुमार को कारण बताओ नोटिस दिनांक 28 अगस्त, 2019 को जारी किया गया था;

और यत:, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 28 अगस्त, 2019 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री दीपक कुमार को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यत:, उक्त नोटिस श्री दीपक कुमार द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर, 2019 को प्राप्त किया था. पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरिया, बैकुण्ठपुर द्वारा अपने दिनांक 14 अक्टूबर, 2019 के पत्र सं. 1044/सामान्य निर्वाचन/नोटिस/2019 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरिया, बैकुण्ठपुर द्वारा अपने दिनांक 24 फरवरी, 2022 के पत्र सं. 265/सा.निर्वा./नोटिस/EEM/2022 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री दीपक कुमार ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यत:, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री दीपक कुमार निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1902 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति —

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन साल की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अत:, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1902 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 02-मनेन्द्रगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री दीपक कुमार, निवासी गेल्हापानी, चिरमिरी, जिला-कोरिया छत्तीसगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है.

आदेश से,

हस्ता./-
(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

New Delhi, dated 27th April, 2022—07 Vaisakha, 1944 (Saka)

No. CG-LA/ES-I/02/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1902, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 02-Manendragarh Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Korea, Baikunthpur, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85, dated 29th January, 2019, Sh. Deepak Kumar an Independent contesting candidate from 02-Manendragarh Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Korea Baikunthpur, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a show Cause Notice, dated 28th August, 2019 was issued by Election Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Sh. Deepak Kumar for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 28th August, 2019, Sh. Deepak Kumar, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Sh. Deepak Kumar, on 10th October, 2019 Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Korea, Baikunthpur vide his letter No. 1044/सामान्य निर्वाचन/नोटिस/2019 dated 14th October, 2019.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Korea, Baikunthpur vide his letter No. 265/सा. निर्वा./नोटिस/EEM/2022 dated 24th February, 2022, has stated that Sh. Deepak Kumar, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Sh. Deepak Kumar, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the people Act, 1902 Stipulates that :—

"If the Election Commission is satisfied that a person:

(i) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and

(ii) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1902, the Election Commission of India hereby declares Sh. Deepak Kumar, Gelhapani, Chirmiri, Dist.-Korea, Chhattisgarh and an Independent contesting candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 02-Manendragarh Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-
(NARENDRA N. BUTOLIA)
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

कार्यालय-उप महाप्रबंधक (मा.स.) पता-क्वा. नं. सी-8/11 प्रथम तल, डंगनिया परिसर, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 11 मई 2022

क्रमांक 02-14/स्था./1097.—कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन (डी-17) आदेश क्र. 391/F 1-8/2019/13/1, दिनांक 04-05-2022 के अनुपालन में श्रीमती उज्जवला बघेल, प्रबंध संचालक एवं संचालक, छ.ग.स्टे.पा.हो.कं.लिमि., रायपुर द्वारा दिनांक 04-05-2022 को अपरान्ह में प्रबंध, संचालक, छ.ग.स्टे.पा.ट्रांस.कं.लिमि. तथा संचालक, छ.ग.स्टे.पा.ट्रांस.कं.लिमि. के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है. तत्संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन डी-17 जो कि माननीय अध्यक्ष छ.ग.स्टे.पा.कं. द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है.

के. के. भौरासे,
अति. मुख्य अभियंता.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 20th April 2022

No. 830/Confdl./2022/II-2-1/2022.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted as District Judge from the date they assume charge of their office(s) and;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Sessions Judge of the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Radhakishan Agrawal, Legal Advisor to Governor, Governor's Secretariat.	Raipur	Bilaspur	Bilaspur	District and Sessions Judge.
2.	Shri Sanjay Kumar Jaiswal, Registrar General, High Court of Chhattisgarh.	Bilaspur	Durg	Durg	District and Sessions Judge.
3.	Shri Santosh Sharma, Registrar (Vigilance), High Court of Chhattisgarh.	Bilaspur	Raipur	Raipur	District and Sessions Judge.
4.	Shri Doctorlal Katakwar, District & Sessions Judge.	Kanker	Korba	Korba	District and Sessions Judge.
5.	Shri Rajnish Shrivastava District & Sessions Judge.	Baloda-Bazar	Raigarh	Raigarh	District and Sessions Judge.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Shri Vijay Kumar Ekka, President, District Consumer Disputes Redressal Forum.	Jagdalpur	Baloda-Bazar	Baloda-Bazar	District and Sessions Judge.
7.	Shri Suresh Kumar Soni, District & Sessions Judge.	Kondagaon	Janjgir	Janjgir-Champa	District and Sessions Judge.
8.	Dr. Pragya Pachouri, I Additional District and Sessions Judge.	Durg	Balod	Balod	District and Sessions Judge.
9.	Shri Alok Kumar (Sr.), I Additional Principal Judge, Family Court.	Durg	Jagdalpur	Bastar (Jagdalpur)	District and Sessions Judge.
10.	Shri Yogesh Pareek, Registrar (S. & A.), High Court of Chhattisgarh.	Bilaspur	Kanker	Uttar Bastar (Kanker)	District and Sessions Judge.
11.	Shri Uttara Kumar Kashyap, President, District Consumer Disputes Redressal Forum.	Bilaspur	Kondagaon	Kondagaon	District and Sessions Judge.

Bilaspur, the 20th April 2022

No. 832/Confdl./2022/II-2-1/2022.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, are hereby transferred from the place mentioned in Column No. (3) and are posted on the post of Special Judge of the Special Court established by the State Government under Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 at the place mentioned in Column No. (4) from the date they assume charge of their office(s) and;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Vijay Kumar Hota, Special Judge under S.C. & S.T. (P.A.) Act.	Raipur	Baikunthpur	Koriya (Baikunthpur)	Special Judge under S.C. & S.T. (P.A.) Act, Koriya (Baikunthpur).
2.	Shri Hirendra Singh Tekam, Judge, Family Court.	Baloda-Bazar	Raipur	Raipur	Special Judge under S.C. & S.T. (P.A.) Act.
3.	Shri Thomas Ekka, Judge, Family Court.	Ambikapur	Rajnandgaon	Rajnandgaon	Special Judge under S.C. & S.T. (P.A.) Act.

Bilaspur, the 20th April 2022

No. 834/Confdl./2022/II-2-1/2022.—The incumbent Judicial Officers of this Court, as specified in Column No. (2) of the table below, are, hereby, given additional charge of the Court as mentioned in Column No. (3), as and when these Courts fall vacant, until further orders :—

TABLE

S. No. (1)	Name of the Court (2)	Additional Charge (3)
1.	District & Sessions Judge, Jagdalpur	Special Judge under S.C. & S.T. Act, Jagdalpur
2.	Special Judge under S.C. & S.T. (P.A.) Act, Raigarh.	Additional District & Sessions Judge (F.T.C.), Raigarh.
3.	Special Judge under S.C. & S.T. (P.A.) Act, Koriya (Baikunthpur).	Additional District & Sessions Judge (F.T.C.), Baikunthpur.
4.	I Additional District & Sessions Judge, Surajpur.	Additional District & Sessions Judge, (F.T.C.), Surajpur.
5.	Additional District & Sessions Judge, Kondagaon.	Additional District & Sessions Judge, (F.T.C.), Kondagaon.
6.	V Additional District & Sessions Judge, Ambikapur.	Labour Judge, Labour Court, Ambikapur.
7.	V Additional District & Sessions Judge, Raipur.	Labour Judge, Labour Court, No. 2, Raipur (having jurisdiction over the rest of the Revenue District Raipur and Gariaband except the jurisdiction of Labour Court No.-1, Raipur).

By order of the High Court,
SANJAY KUMAR JAISWAL, Registrar General.